भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*271
सोमवार, 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942 (शक)

बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरी/सहायता

***271. श्री रामशिरोमणि वर्माः**
श्रीमती संगीता आज़ादः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र में कोविड-**19** वैश्विक महामारी के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके कामगारों/श्रमिकों/शिक्षित युवाओं की संख्या उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार कितनी है**;**

(ख) क्या सरकार ने इन सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिये कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;**

(ग) राज्य-वार एवं जिला-वार उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है**;** और

(घ) क्या सरकार का विचार नौकरी गंवा चुके व्यक्तियों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का है**?**

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

"बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरी/सहायता" के संबंध में श्री रामशिरोमणि वर्मा, श्रीमती संगीता आज़ाद द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 15-03-2021 के तारांकित प्रश्न संख्या *271 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। भारत सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों एवं खतरों के समाधान के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

सरकार आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों हेतु रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ-साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि को बहाल करने हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, दो वर्षों की अवधि के लिए कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है। 28.02.2021 को लाभार्थियों के पंजीकरण की स्थिति नीचे दी गई है:

पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या	पंजीकृत नए कर्मचारियों की संख्या	लाभ की धनराशि
1.83 लाख	15.30 लाख	186.34 करोड़ रु.

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% है। पीएमजीकेवाई योजना के तहत, 38.82 लाख पात्र कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में 2567.66 करोड़ रु. डाले गए थे।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत, बेरोजगारी लाभ को औसत आय के 25% से बढ़ा कर 50% किया गया है, जो लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट के साथ 90 दिवसों तक देय है।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को छह राज्यों हेतु गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) प्रारंभ किया है। जीकेआरवाई के तहत छह राज्यों में 50,78,68,671 मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं।

सरकार ने वापास लौट रहे प्रवासी कामगारों सहित और अधिक कार्य आवश्यकता के समाधान के लिए कुल मिलाकर लगभग 300 करोड़ मानवदिवस सृजित करने के लिए एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत 40,000/- करोड़ रु. अतिरिक्त उद्दिष्ट किए हैं। 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए एमजीएनआरईजीए मजदूरी को 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए किया गया है।

पीएम-स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने के कार्य को सरल बनाया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 935

सोमवार, 8 फरवरी, 2021 / 19 माघ, 1942 (शक)

श्रमिकों के ईपीएफओ खातों की स्थिति

935. श्री रामदास तडस:
श्री मनोज तिवारी:
श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री सी.पी. जोशी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वि गत एक वर्ष के दौरान श्रमिकों के ईपीएफओ खातों के प्रचालन स्थिति में गिरावट आई है;
(ख) यदि हां, तो बंद हो चुके खातों की संख्या और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार ने अब तक कितने श्रमिकों को ईपीएफओ के माध्यम से राहत प्रदान की है; और
(घ) प्रदत्त राहत का प्रकार और ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, नहीं।

(ख): दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार, बंद हो चुके खातों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुबंध पर है।

(ग) और (घ): कोविड-19 विश्व व्यापी महामारी की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजेकेवाई) और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत सरकार ने मजदूरी माह मार्च से अगस्त, 2020 तक कर्मचारियों के 12% तथा नियोक्ताओं के 12% दोनों के हिस्से के कुल 24% का अंशदान उन सभी प्रतिष्ठानों के लिए किया जिनमें 100 की संख्या तक कर्मचारी थे और जिनमें 90% ऐसे कर्मचारी हैं जो 15,000/- रूपये से कम मासिक वेतन पाते हैं। आधार सहबद्ध यूएएन वाले 38.84 पात्र ईपीएफ सदस्य एवं 2.63 लाख पात्र प्रतिष्ठानों को 2567.22 करोड़ रूपये के लाभ जमा कराए गए हैं।

दिनांक 18 मई, 2020 की अधिसूचना संख्या सां.आ.1513(अ) के माध्यम से यथाविनिर्दिष्ट मई, 2020 से जुलाई, 2020 के तीन मजदूरी माहों के लिए अंशदानों की सांविधिक दर को 12% से घटाकर 10% कर दिया गया था। कम की गई दरों के लाभ उठाने वाले प्रतिष्ठानों एवं सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

माह	प्रतिष्ठानों की संख्या	ईपीएफ सदस्यों की संख्या
मई, 2020	124093	157.83 लाख
जून, 2020	138773	175.44 लाख
जुलाई, 2020	141045	180.93 लाख

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने कोविड अग्रिम के लिए 28 मार्च, 2020 को कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 68ठ के अंतर्गत उप-पैरा 3 को अंत:स्थापित किया है। इस प्रावधान के अंतर्गत लाभार्थियों को तीन महीने की मूल मजदूरी और महंगाई भत्ते के बराबर अथवा सदस्य के ईपीएफ खाते में जमा राशि के 75% तक, जो भी कम हो,गैर-वसूली योग्य आहरण की सुविधा उपलब्ध है।

दिनांक 31.01.2021 की स्थिति के अग्रिमों का विवरण निम्नानुसार है:-

अग्रिम /आहरण का स्वरूप	**सदस्यों के हित में निपटाए गए दावों की संख्या**	**राशि (करोड़ रूपए में)**
बेरोजगारी अग्रिम	42,201	141.96
कोविड संबंधी अग्रिम	60,88,980	15,255.95

कोविड-19 रिकवरी चरण के दौरान, केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) को आरंभ किया है जिसमें कर्मचारियों तथा नियोक्तओं दोनों के अंशदान का भुगतान करते हुए अर्थात 1000 तक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी का 24% ईपीएफ अंशदान और 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी के 12 अनुसार,को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के संबंध में 12% ईपीएफ अंशदान का भुगतान करना शामिल है। दिनांक 28.01.2021 की स्थिति के अनुसार, कुल लाभार्थियों (नए कर्मचारियों) की संख्या 4.69 लाख है।

* ******

अनुबंध

श्रमिकों के ईपीएफओ खातों की स्थिति के संबंध में श्री रामदास तडस, श्री मनोज तिवारी, श्री संगम लाल गुप्ता और श्री सी.पी. जोशी द्वारा दिनांक 08.02.2021 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 935 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य	31.03.2020 की स्थिति की अनुसार बंद हो चुके खाते
1	आंध्र प्रदेश	22303
2	गुजरात	56970
3	हरियाणा	41015
4	केरल और लक्षद्वीप	51589
5	ओडिशा	23444
6	राजस्थान	20027
7	तेलंगाना	46083
8	उत्तर प्रदेश	51922
9	महाराष्ट्र	160413
10	झारखंड	14929
11	बिहार	11358
12	उत्तराखंड	14943
13	गोवा	3735
14	कर्नाटक	75670
15	मध्य प्रदेश	28944
16	छत्तीसगढ़	7986
17	असम	7239
18	मेघालय	1343
19	त्रिपुरा	1343
20	पंजाब	20646
21	हिमाचल प्रदेश	8252
22	तमिलनाडु	149594
23	पश्चिम बंगाल	82487
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	448
25	चंडीगढ़	12636
26	जम्मू कश्मीर और लद्दाख	0
27	दिल्ली	56932
28	पुडुचेरी	5512
कुल		**977763**

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-959
सोमवार, 08 फरवरी, 2021/19 माघ, 1942 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

959. श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः
श्री नारणभाई काछड़ियाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ए.वी.आर.वाई) अनुमोदित की है;

(ख) यदि हां, तो भारत में विशेषरूप से गुजरात में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में यह योजना कब तक उपयोगी होगी; और

(ग) सरकार द्वारा क्रियान्वयन की गई योजना की कुल अवधि अर्थात् 2020 से 2023 तक के लिए अनुमोदित व्यय (करोड़ रुपए में) कितना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के पुनःस्थापन हेतु प्रारंभ की गई है।

इस योजना के तहत;

- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी, जो 1 अक्तूबर, 2020 से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था एवं उसके पास 1 अक्तूबर, 2020 से पूर्व सार्वभौमिक लेखा संख्या अथवा ईपीएफ सदस्य संख्या नहीं थी, लाभ हेतु पात्र होगा।
- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला सार्वभौमिक लेखा संख्या (यूएएन) धारक ईपीएफ का कोई भी सदस्य, जो 01.03.2020 से 30.09.2020 तक कोविड महामारी के दौरान रोजगार से निकाल दिया गया तथा 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किए गए किसी प्रतिष्ठान में रोजगार में नियुक्त नहीं हुआ, वह भी लाभ लेने हेतु पात्र होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)- दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई है और 30 जून 2021 तक पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए चालू रहेगी। सरकार पंजीकरण की तारीख से दो साल के लिए सब्सिडी का भुगतान करेगी।

सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन की कुल अवधि, अर्थात् 2020 से 2023 तक हेतु अनुमानित परिव्यय 22810 करोड़ रु. है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1032

सोमवार, 8 फरवरी, 2021 / 19 माघ, 1942 (शक)

ईपीएफओ द्वारा केवाईसी का नवीनीकरण

1032. श्री दीप सिंह शंकर सिंह राठौड़:
श्री अनिल फिरोजिया:
श्री मोहनभाई कुंडारिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कोविड-19 महामारी के दौरान जुलाई, 2020 में अपने अंशदाताओं के केवाईसी के नवीनीकरण में कोई प्रगति की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) ऐसे अंशदाताओं की संख्या क्या है जिनके आधार संख्या, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता संबंधी ब्यौरे का नवीनीकरण किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): जी, हां। जुलाई, 2020 के दौरान अद्यतन किए गए केवाईसी के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

केवाईसी	जुलाई, 2020 के दौरा अद्यतन किए गए अंशदाताओं की संख्या
आधार	5,89,936
बैंक खाता	6,76,939
मोबाइल	6,05,539

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1063

सोमवार, 8 फरवरी, 2021 / 19 माघ, 1942 (शक)

ईपीएफओ का सामाजिक सुरक्षा कवरेज

1063 श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लागू होने के साथ, उन कामगारों को जो संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र में हैं, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संहिता के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु योजनाएं को तैयार करना संभव होगा।

*****

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1086

(जिसका उत्तर सोमवार, 08 फरवरी, 2021/19 माघ, 1942 (शक) को दिया जाना है।)

'प्रोत्साहन पैकेज'

1086. श्री पी.सी. गद्दीगौदरः
श्री सु. थिरुनवुक्करासरः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मौजूदा कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तीसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है;
(ख) महामारी के प्रकोप के बाद से घोषित पैकेजों का तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा से अर्थव्यवस्था में वांछित परिणाम देखे गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) खराब आर्थिक स्थिति को ठीक करने, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और देश में आम आदमी की आजीविका में सुधार करने में प्रोत्साहन पैकेजों ने किस हद तक मदद की है;
(ङ) क्या सरकार आने वाले महीनों में देश में बीमारू क्षेत्रों को बचाने के लिए एक और प्रोत्साहन पैकेज लाने की योजना बना रही है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पैकेज की घोषणा कब तक होने की संभावना है; और
(च) सरकार द्वारा प्रोत्साहन पैकेजों पर अब तक किए गए खर्चों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): भारत सरकार ने 13 मई, 2020 से 17 मई, 2020, 12 अक्तूबर, 2020 और 12 नवंबर, 2020 को क्रमशः आत्मनिर्भर भारत पैकेज (एएनबी) 1.0, 2.0 और 3.0 की घोषणा की थी। आत्मनिर्भर भारत पैकेजों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोविड-19 से लड़ने के उद्देश्य से घोषित विभिन्न दीर्घावधिक स्कीमें/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं। सरकार ने कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ने में गरीबों की मदद के लिए 26.03.2020 को 1.70 लाख करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) की भी घोषणा की है। पीएमजीकेपी और एएनबी के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-I** पर है। आत्मनिर्भर भारत मिशन द्वारा प्रदत्त प्रबल सहायता से अर्थव्यवस्था दृढ़तापूर्वक बहाली की राह पर अग्रसर है यद्यपि लॉकडाउन की वजह से जीडीपी में पहली तिमाही (2020-21) में 23.9% का संकुचन हुआ, तथापि बहाली V-आकार की हुई है जोकि दूसरी तिमाही में 7.5% की गिरावट और सभी प्रमुख आर्थिक संकेतकों में बहाली में देखी जा सकती है। जुलाई के आरंभ से, मजबूत V-आकार बहाली शुरू हो गई है। जो पहली तिमाही में तीव्र गिरावट के पश्चात दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि में बहाली से दृष्टिगोचर होती है। प्रमुख संकेतक जैसाकि ई-वे हुंडियों, रेल मालभाड़ा, जीएसटी संग्रहण और विद्युत खपत पिछले वर्ष के स्तरों की तुलना में बेहतर है। इसके अतिरिक्त, अंतर और अंतरा राज्य आवाजाही ने पुनः गति पकड़ी है और रिकॉर्ड उच्च मासिक जीएसटी संग्रहण औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के पुनः चालू होने को चिह्नित करते हैं।

(ङ): सरकार आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर अर्थवव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्कीमों/कार्यक्रमों की घोषणा और विभिन्न उपाय करती है।

(च): कोविड-19 वैश्विक महामारी द्वारा पेश की गई चुनौतियों से निपटने के लिए संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए, जीएसडीपी के 2% तक, अर्थात 4,27,302 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति राज्यों को वर्ष 2020-21 के लिए जीएसडीपी के 3% की सामान्य उधार सीमा के अतिरिक्त दी गई है। इस राशि का 1% निम्नलिखित चार विशिष्ट राज्य स्तरीय सुधारों के कार्यान्वयन के अध्यधीन है, जहां प्रत्येक सुधार का महत्व जीएसडीपी का 0.25% है: (क) एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड का कार्यान्वयन (ख) कारोबारी सुगमता संबंधी सुधार (ग) शहरी स्थानीय निकाय/सुविधा सुधार और (घ) विद्युत सेक्टर के सुधार जीएसडीपी के 2% में से 1,06,830 करोड़ रुपये की राशि के लक्षित जीएसडीपी के

0.5% (अनाबद्ध) की अनुमति राज्यों को 2020-21 के दौरान खुला बाजार उधारों (ओएमबी) जुटाने के लिए दी गई थी। यही नहीं, जीएसटी कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न कमी को पूरा करने के लिए उधार के विकल्प 1 का चयन करने वाले राज्यों के लिए जीएसडीपी का 0.5% प्राप्त करने हेतु चार सुधारों में से न्यूनतम तीन सुधारों को कार्यान्वित करने की शर्त में भी छूट दी गई थी। सभी राज्यों ने विकल्प 1 का चयन पहले ही कर लिया है और 1,06,830 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त उधार की अनुमति दे दी गई है। कई राज्यों ने निर्धारित सुधारों को कार्यान्वित किया है और इस प्रकार उन्हें सुधार संबद्ध उधार अनुमति दे दी गई है। 02.02.2021 तक, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को अतिरिक्त उधारों का आबंटन किया गया है, 11 राज्यों को कारोबारी सुगमता संबंधी सुधारों के कार्यान्वयन के लिए, 5 राज्यों को स्थानीय निकाय सुधारों के कार्यान्वयन और 2 राज्यों को विद्युत सेक्टर संबंधी सुधार के अंतर्गत किसानों को प्रत्यक्ष लाभ स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त उधारों का आबंटन किया गया है। राज्यों को 02.02.2021 तक, कुल 73,257 करोड़ रुपये की सुधार संबद्ध अतिरिक्त उधार अनुमति जारी की गई है। 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता' स्कीम के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपये की समग्र सीमा से अनधिक तक का 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य सरकारों को विशेष सहायता प्रदान की गई है। 27 राज्यों के 11179.5 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है और वित्त वर्ष 2020-21 में उनको पहली किस्त के रूप में 5589.70 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए व्यय, जहां कहीं लागू हो, के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध–II** पर है। इसके अतिरिक्त, कोविड–19 की वजह से लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए एएनबी और पीएमजीकेपी के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभों तथा एमएसएमई [आपातकाल क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के माध्यम से] को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध–III** पर है।

अनुबंध–I

दिनांक 08.02.2021 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 1073 के भाग (क) से (घ) तक के प्रत्युत्तर से संदर्भित विवरण।

पीएमजीकेवाई का विवरण

I. लगभग 22.2 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य देख–भालकर्ताओं को 50 लाख रुपए का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य देख–भाल में दिनांक 30.03.2020 को कोविड–19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना शुरू करी गई थी जिसमें वह सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं जो कोविड–19 रोगियों के सीधे संपर्क में आए थे और देखभाल किए थे तथा वह जो इसके प्रभाव में आने के कारण जोखिम में पड़ सकते थे। अभूतपूर्व परिस्थिति के कारण कोविड–19 से संबंधित उत्तरदायित्व के लिए बनाये गए केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्य/केन्द्रीय अस्पताल/ स्वायत्त अस्पतालों, केन्द्रीय मंत्रालय के एआईआईएमएस और आईएनआई/ अस्पतालों द्वारा अपेक्षित निजी अस्पताल स्टॉफ/सेवानिवृत्त/स्वयंसेवक/स्थानीय शहरी निकायों/संविदा/दैनिक मजदूर/तदर्थ/आउटसोर्स स्टॉफ को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था।

II. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना– लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक परिवार) के अंतर्गत शामिल सभी लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति @ 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न का अतिरिक्त आबंटन निःशुल्क प्रदान किया गया था जिसमें वह भी शामिल है जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अतंर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त, तीन महीने के लिए प्रत्येक परिवार को क्षेत्रीय प्राथमिकता के अनुसार @ 1 कि. ग्रा. निःशुल्क दलहन प्रदान किया गया था। इस स्कीम को नवम्बर, 2020 तक बढ़ाया गया था।

III. किसानों को लाभ– पीएम किसान योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में देय 2000 रु. की प्रथम किस्त को समय से पहले ही अप्रैल, 2020 में भुगतान किया गया था जिसमें 8.7 करोड़ किसान शामिल हैं।

(IV) नकद अंतरण–

क) गरीबों को सहायताः कुल 20.40 करोड़ (लगभग) पीएमजेडीवाई महिला खाता धारकों को 3 महीने के लिए प्रति माह 500 रु. की अनुग्रह राशि दी गई थी।

ख) गैस सिलेंडरः 13000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित दिनांक 01.04.2020 से पीएमजीकेपी के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के 8 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान किया गया था। सिलेंडर खरीदने के लिए नकद अग्रिम लाभार्थियों के खाते में अंतरित किया गया था। इस योजना को उन लाभार्थियों के लिए 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ाया गया था जिन्हें रिफिल सिलेंडर खरीदने के लिए अग्रिम राशि प्रदान की गई थी परंतु जो दिनांक 30.06.2020 तक निःशुल्क सिलेंडर नहीं खरीद पाए थे।

ग) संगठित क्षेत्र में कम मजदूरी पाने वालों की मदद: 100 कामगारों से कम वाले कारोबारों में 15000 रुपये प्रति माह से कम अर्जित करने वाले मजदूरों को तीन माह के लिए उनके भविष्य निधि खातों में उनके मासिक मजदूरी की 24% राशि डाली गई थी ताकि उनके रोजगार में आए विघटन से बचाया जा सके। इस स्कीम को आगे और तीन माह अर्थात अगस्त 2020 तक बढ़ाया गया था।

घ) वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक), विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए सहायता: 3 करोड़ वृद्ध विधवाओं और दिव्यांग श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को 1000 रुपये की राशि प्रदान की गई थी।

V. मनरेगा–दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से मजदूरी में 20 रुपये की वृद्धि की गई थी। इस वृद्धि से आशा की गई थी कि कामगार को और 13.62 करोड़ परिवारों को सालाना अतिरिक्त 2000 रुपये का लाभ मिलेगा।

VI. स्वयं सहायता समूह: 63 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), जो 6.85 करोड़ परिवारों की सहायता करते हैं, के माध्यम से संगठित महिलाओं के लिए संपार्श्विक नि:शुल्क उधार की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई थी।

VII. पीएम गरीब कल्याण पैकेज के अन्य घटक

(क) संगठित क्षेत्र: वैश्विक महामारी को एक कारण के रूप में शामिल करने के लिए कर्मचारियों के भविष्य निधि विनियमों को संशोधित किया गया था ताकि उनके खातों में से राशि की 75% गैर-वापसी योग्य अग्रिम अथवा तीन माह की मजदूरी, इनमें से जो भी कम हो, की अनुमति दी जा सके।

(ख) भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण निधि: केंद्रीय सरकार के अधिनियम के अंतर्गत भवन और अन्य निर्माण कामगारों के लिए कल्याण निधि का सृजन किया गया है। इस निधि के अंतर्गत लगभग 3.5 करोड़ पंजीकृत कामगार आते हैं। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया था कि इस निधि का उपयोग आर्थिक विघटनों के विरुद्ध कामगारों को बचाने के लिए इसमें से सहायता देने के लिए किया जाए।

(ग) जिला खनिज निधि: राज्य सरकारों को कोविड-19 वैश्विक महामारी के विस्तार को रोकने और इस महामारी से प्रभावित रोगियों का उपचार करने के संबंध में चिकित्सा परीक्षण, जांच और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने और सुविधाओं का संवर्धन करने के लिए जिला खनिज निधि (डीएमएफ) के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग करने के लिए कहा गया था।

अनुबंध-।

08.02.2021 पर जवाब के लिए आर अतारांकित प्रश्न सं. 1086 के भागों (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क. 13.05.2020 को की गई घोषणाएँ

1. रुपये 3 लाख करोड़ व्यवसायों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा, एमएसएमई सहित
2. रुपये 20,000 करोड़ तनाव एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण
3. रुपये 50,000 करोड़ फंड की एमएसएमई फंड के माध्यम से इक्विटी अर्क
4. एमएसएमई की नई परिभाषा और एमएसएमई के लिए अन्य उपाय
5. सरकार निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदाएं 200 करोड़ रू. तक
6. जून, जुलाई और अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए एक और 3 महीने के लिए व्यापार और संगठित श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि सहायता का विस्तार
7. ईपीएफ अंशदान नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए अगले 3 महीनों के लिए ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए 12% से 10% करने के लिए 3 महीने के लिए कम किया जा करने के लिए
8. रु. एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ की विशेष तरलता योजना
9. रु. एनबीएफसी / एमएफआई की देयताओं के लिए 45,000 करोड़ की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0
10. रुपये 90,000 करोड़ णडस्कॉमों के लिए लिक्विडिटी इंजेक्शन
11. संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए छह महीने तक के विस्तार से दिए गए ठेकेदारों को राहत, जिसमें ईपीसी और रियायत समझौतों के संबंध में
12. रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्ण होने की तारीख को छह महीने तक बढ़ाया जाएगा।
13. व्यापार के लिए कर में राहत के रूप में लंबित आयकर कर को धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-कॉर्पोरेट व्यवसायों और व्यवसायों को तुरंत जारी किया जाना चाहिए
14. वित्त वर्ष 2015-21 की शेष अवधि के लिए 'टैक्स डिडक्शन एट सोर्स' और 'टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स' की दरों में 25% की कमी
15. विभिन्न कर से संबंधित अनुपालन के लिए देय तिथियां

ख. 14.05.2020 को की गई घोषणाएँ

16. 2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति।
17. मार्च, 2021-वन नेशन वन राशन कार्ड की भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकानों से पीडीएस (राशन) का उपयोग करने के लिए प्रवासियों को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी प्रणाली
18. प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों की योजना शुरू की जाएगी
19. के लिए 12 महीने के लिए 2% ब्याज सहायता शिशु मुद्र ऋण रुपये की राहत -। 1500 करोड़ रु
20. रुपये 5000 करोड़ स्ट्रीट विक्रेताओं के लिए ऋण सुविधा।
21. 70 , 000 करोड़ रू. पीएमएवाई तहत एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के विस्तार के माध्यम से आवास क्षेत्र और मध्यम आय वर्ग के लिए बढ़ावा (शहरी)
22. रुपये 6,000 करोड़ रोजगार बनाना सीएएमपीए निधियों का उपयोग के लिए
23. रुपये 30,000 करोड़ नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी
24. रुपये 2 लाख करोड़ रियायती ऋण 2.5 बढ़ावा करोड़ किसानों के तहत किसान क्रेडिट कार्ड योजना

ग. 15.05.2020 को घोषणाएँ

25. रुपये 1 लाख करोड़ किसानों के लिए कृषि गेट बुनियादी सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
26. रुपये 10,000 करोड़ माइक्रो खाद्य उद्यम औपचारिक के लिए योजना (यूके)
27. रुपये 20,000 करोड़ के माध्यम से मछुआरों के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)
28. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
29. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना – रु। 15,000 करोड़ रु
30. हर्बल संवर्धन को बढ़ावा : 4,000 करोड़ रुपये का परिव्यय
31. मधुमक्खी पालन की पहल – रुपये 500 करोड़
32. 'टॉप' से कुल के लिए – रुपये 500 करोड़
33. कृषि क्षेत्र के लिए शासन और प्रशासनिक सुधार के उपाय

i. किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन
ii. किसानों को विपणन विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार
iii. कृषि उत्पादन मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन

घ. 16.05.2020 को की गई घोषणाएँ

34. कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन शुरू किया गया
35. कोयला क्षेत्र में विविध अवसर
36. कोयला क्षेत्र में उदारवादी शासन
37. खनिज क्षेत्र में निजी निवेश और नीति सुधार को बढ़ाना
38. रक्षा उत्पादन में स्व रिलायंस को बढ़ाना
39. रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार
40. नागरिक उड्डयन के लिए कुशल एयरस्पेस प्रबंधन
41. पीपीपी के माध्यम से अधिक विश्व स्तरीय हवाई अड्डे
42. विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने वाला भारत
43. विद्युत क्षेत्र में टैरिफ नीति सुधार; संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण
44. सामाजिक क्षेत्र में सुधारित व्यवहार्यता गैप वित्त योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना
45. अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना
46. परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

ङ. 17.05.2020 को की गई घोषणाएँ

47. रुपये 40,000 करोड़ वृद्धि एमजीएनआरईजीएस रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदान करने के लिए आवंटन में
48. भविष्य के महामारियों के लिए भारत को तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश में वृद्धि
49. टेक्नोलॉजी पोटेंशियल एजुकेशन विद इक्विटी पोस्ट–सीओवीआईडी
50. आईबीसी से संबंधित उपायों के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और वृद्धि
51. कंपनी अधिनियम की चूक को कम करना
52. कॉर्पोरेट्स के लिए व्यापार करने में आसानी
53. एक नए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति
54. 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा को 3% से बढ़ाकर केवल 5% करना और राज्य स्तरीय सुधारों को बढ़ावा देना

च. 12 वें अक्टूबर 2020 को की गई घोषणाएँ

55. एलटीसी कैश वाउचर योजना– 2018-21 के दौरान एक एलटीसी के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान, (छुट्टी नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान और एलटीसी किराया का कर–मुक्त भुगतान)
56. विशेष महोत्सव अग्रिम योजना- रु. की ब्याज मुक्त अग्रिम। 10,000, प्रीपेड रूपे कार्ड के रूप में, 31 मार्च, 2021 तक खर्च किया जाएगा।
57. राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय बूस्ट - एक ₹12,000 के लिए राज्यों को विशेष ब्याज मुक्त 50 साल के ऋण करोड़ पूंजीगत व्यय

- 8 उत्तर पूर्व राज्यों के लिए 200 करोड़
- ₹ 450 करोड़ प्रत्येक उत्तराखंड , हिमाचल
- शेष राज्यों के लिए of 7,500 करोड़ , वित्त आयोग के विचलन के अनुसार

58. सड़क, रक्षा, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू स्तर पर पूंजीगत उपकरणों पर पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त बजट के लिए पूंजीगत व्यय 25,000 करोड़ (बजट 2020 -21 में 4.13 लाख करोड़ के अलावा) प्रदान किया गया। ।

छ. 12 नवंबर 2020 को की गई घोषणाएं

59. आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना - कोविड-19 वसूली के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए। यदि ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान नए कर्मचारियों को ईपीएफओ नंबर के बिना लेते हैं या जो पहले नौकरी खो चुके हैं, तो योजना इन कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी।
60. एमएसएमई व्यवसायों, मुद्रा उधारकर्ताओं और व्यक्तियों (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण) के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना , 31 मार्च, 2021 तक विस्तारित । कोविड-19 के कारण हेल्थकेयर क्षेत्र और 26 क्षेत्रों के लिए शुरू की गई क्रेडिट गारंटी सहायता योजना। संस्थाओं को बकाया ऋण का 20% तक अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा; पुनर्भुगतान पाँच वर्षों (1 वर्ष की अधिस्थगन + 4 वर्ष की अदायगी) में किया जा सकता है।
61. 10 चैंपियन क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन मूल्य 59 1.46 लाख करोड़ की पेशकश की।
62. 18,000 करोड़ अतिरिक्त अतिरिक्त पीएम आवास योजना के लिए - शहरी
63. निर्माण और अवसंरचना के लिए सहायता - सरकारी निविदाओं पर अर्जन जमा राशि और प्रदर्शन सुरक्षा में छूट
64. डेवलपर्स और गृह खरीदारों के लिए आयकर राहत
65. इंफ्रा डेट फाइनेंसिंग के लिए प्लेटफार्म
66. कृषि के लिए समर्थन: सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए: 65,000 करोड़
67. ग्रामीण रोजगार के लिए बूस्ट: पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया जा रहा है । निधि का उपयोग मनरेगा या ग्राम सड़क योजना के लिए किया जा सकता है , इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी ।
68. प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के लिए बूस्ट भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस स्कीम) के तहत विकासशील देशों को भारत द्वारा दी गई सहायता के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बढ़ावा दिया जाना है। यह एक्जिम बैंक को इन लाइन ऑफ क्रेडिट विकास सहायता गतिविधियों को सुगम बनाने और भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
69. रक्षा उपकरण, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा पर पूंजी और औद्योगिक व्यय के लिए पूंजी और औद्योगिक प्रोत्साहन। 10,200 करोड़ अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
70. कोविड वैक्सीन के लिए आर एंड डी अनुदान; कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के लिए 900 करोड़ जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान किया जा रहा है। इसमें वैक्सीन वितरण के लिए वैक्सीन या लॉजिस्टिक्स की लागत शामिल नहीं है (इसके लिए जो भी आवश्यक हो प्रदान किया जाएगा)

****

अनुबंध-II

08.02.2021 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1086 के भाग (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

सं.	मंत्रालय /विभाग का नाम	स्कीम का नाम		वित्त वर्ष **2020-21** के लिए आवंटन	**22.1.2021** के अनुसार व्यय
1.	वित्तीय सेवाएं विभाग	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (ईसीएलजीएस) (ईसीएलजीएस 1.0 और ईसीएलजीएस 2.0) को सहायता		4000.00 करोड़	4000.00 करोड़
2.	-वही-	उद्धत (सब्सिडी) पर 2% ब्याज की आर्थिक सहायता पर सिडबी को सब्सिडी		1232.00 करोड़	775.00 करोड़
3.	-वही-	शेयर पूंजी एक्जिम बैंक में सदस्यता		1300.00 करोड़	1300.00 करोड़
4.	-वही-	आंशिक ऋण गारंटी योजना के तहत सरकार द्वारा दी गई गारंटी पर दावों के निपटान के लिए ऋण		500.00 करोड़	0.00
5.क	-वही-	विशेष नकदी योजना के तहत सरकार द्वारा दी गई गारंटी पर दावों के निपटान के लिए ऋण		500.00 करोड़	0.00
5.ख	-वही-	नाबार्ड के माध्यम से किसानों को 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आकस्मिक कार्यशील पूंजी वित्तपोषण	दिनांक 22.01.2021 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सहकारिता बैंकों और आरआरबी की फसल ऋण के लिए **30,000** करोड़ रुपये की अतिरिक्त पुनर्वित्त सहायता में से नाबार्ड द्वारा **25,000** करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। छोटे एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई के लिए आरबीआई द्वारा नाबार्ड को आवंटित एसएलएफ के तहत **5000** करोड़ रुपये शेष राशि। **22.01.2021** को, नाबार्ड ने इस निधि के अंतर्गत क्रमशः **992** करोड़ रुपये और **15** करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।		
6.	-वही-	पीएम-किसान लाभार्थियों, मछुआरों और पशुपालन किसानों सहित केसीसी किसानों के माध्यम से रियायती क्रेडिट प्रदान करने के लिए विशेष संतृप्ति अभियान।	22.1.2021: 185.34 लाख केसीसी के साथ केसीसी की क्रेडिट सीमा के । 1.74 लाख करोड़ (लगभग) के साथ कवरेज।		
7.	डीपीआईआईटी	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी)		1200.00 करोड़	1200.00 करोड़
8.	-वही	सिक्किम सहित जम्मू-कश्मीर उत्तराखंड, एचपी और उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित इकाइयों को माल और सेवा कर व्यवस्था के तहत बजटीय समर्थन		1716.00 करोड़	1716.00 करोड़
9.	पशुपालन और डेयरी विभाग	राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी)		-	515.72 करोड़
10.	मत्स्य पालन विभाग	पीएमएमएसवाई		560 करोड़	422.33 करोड़
11.	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत वित्त पोषण की सुविधा - 1 लाख करोड़ रु. बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पीएसीएस), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), आदि को ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा।		2991 करोड़ रु. नाबार्ड द्वारा स्वीकृत 3055 पैक्स और 286 करोड़ रु. पीएसी के अलावा अन्य संस्थाओं को	
12.	-वही-	द नेशनल बी एंड हनी मिशन (एनबीएचएम)		एनबीएचएम के तहत वित्त पोषण के लिए 2560.21 लाख स्वीकृत की कुल सहायता के लिए 11 परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित। स्वीकृत परियोजनाओं को जारी की गई स्वीकृत राशि की पहली किस्त (50%)।	
13	आर्थिक कार्य विभाग	एनबीएफसी/एचएफसी/ एमएफआई के लिए **30,000** करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना	23 एनबीएफसी/एचएफसी के लिए 28 उपकरणों के माध्यम से कुल ₹ 71, 25,51,62,900/- संवितरित किए गए। सभी उपकरणों के लिए ₹ 72,49,60,15,809/- मूल तथा ब्याज का पुनर्भुगतान प्राप्त हुआ।		

14.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का पीएम फोर्मलाइजेशन	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान तथा भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान को कुल **₹10,3,83,33,000/ -** जारी किया गया है।

*****

08.02.2021 पर जवाब के लिए आर अतारांकित प्रश्न सं. 1086 के भागों (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

अनुबंध–III

	29.01.2021	पीएमजी आयु		पीएमजीएवाई दलहन / चना		उज्जवला		ईसीएलजीएस		एएनबी खाद्यान्न (प्रवासी के लिए (		एएनबी चना (प्रवासी के लिए (		पीएम किशन	पीएमजेडीवाई	24% ईपीएफ		एनएसएपी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	(भवन और निर्माण निधि (		डीएमएफ
नहीं।	राज्य	खाद्यान्न मात्रा (अप्रैल– (नवंबर एमटी	लाभार्थी	दलहन / चना मात्रा (अप्रैल – (नवंबर (एमटी)	लाभार्थी	अग्रिम या प्रतिपूर्ति के विरुद्ध दिया गया रिफिल	हस्तांतरित राशि लाख) (में	गारंटी नग	गारंटी राशि) करोड़)	खाद्यान्न (कुल ((एमटी)	लाभार्थी (कुल (	कुल मात्रा (मई – (जून (एमटी)	कुल लाभार्थी (मई – (जून	लाभार्थियों की नहीं	एसी/का श्रेय नहीं	लाभार्थी	राशि (रु। लाख (	कुल लाभार्थी	लाभार्थियों की नहीं	कुल राशि) रु। लाख (	राशि) करोड़ रु।)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2,383	59,100	122	16,350	22,354	157	1,885	92	59.5	11,900	9	8,554	10,677	23,064	3,238.00	155.91	5,928	11,014	492	
2	आंध्र प्रदेश	9,95,500	2,61,12,304	66,492	90,28,190	7,62,024	5,163	2,46,973	7,489	7	1,360	0	0	46,95,820	60,13,565	1,85,152.00	11,651.14	9,32,661	19,67,484	19,675	131.48
3	अरुणाचल प्रदेश	30,642	7,98,490	1,034	1,77,210	76,658	518	2,181	63	799	1,59,758	34	33,730	66,323	1,80,119		0.00	34,139	3,000	60	
4	असम	9,77,964	2,48,73,000	45,456	57,86,440	52,70,571	36,257	5,30,121	2,444	15,712	31,42,380	638	6,37,953	18,61,715	95,34,385	9,772.00	252.73	8,40,984	2,70,000	2,700	0.65
5	बिहार	31,47,508	8,11,39,356	1,20,112	1,43,33,767	1,53,47,936	1,11,171	6,44,396	3,520	86,449	1,72,89,890	3,301	33,01,110	58,99,824	2,33,15,732	67,545.00	4,287.92	36,64,811	0	0	0.00
6	चंडीगढ़	10,167	2,59,080	486	63,670	246	2	6,326	780	145.8	29,160	7	7,056	429	1,10,537	23,805.00	2,034.29	3,415	6,670	400	
7	छत्तीसगढ़	7,89,804	1,94,31,064	39,632	51,49,800	39,71,169	32,416	1,35,622	3,528	1,964	3,92,860	174	1,74,448	21,67,441	78,57,012	84,417.00	6,404.33	8,52,275	0	0	4.36
															52,817			9,588	0	0	
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	10,568	2,58,328	519	65,240	25,360	169	2,882	287	159	31,800	12	11,980	13,531	17,387		0.00	1,376	0	0	
9	दिल्ली	2,72,775	6284047	13,690	17,54,513	1,95,912	1,263	89,128	11,815	4,544	9,08,880	351	3,51,100	12,075	20,30,271	41,521.00	3,642.58	1,56,436	39,600	3,960	
10	गोवा	20,585	5,14,412	1,066	1,42,550	2,108	14	11,562	631	22	4,320	2	1,600	7,854	69,987	16,563.00	1,265.92	2,061	5,117	307	
11	गुजरात	12,76,713	31784856	50,026	65,09,333	49,09,689	32,592	2,84,716	18,997	287	57,312	20	20,253	46,85,062	71,08,005	2,70,988.00	18,510.49	6,88,953	4,83,196	4,832	22.00
12	हरियाणा	4,50,912	1,11,90,324	18,812	24,27,333	15,15,279	9,902	1,54,876	9,444	7,959	15,91,770	465	4,65,060	15,14,497	34,16,299	83,035.00	6,403.61	3,27,269	3,50,621	17,531	15.85
13	हिमाचल प्रदेश	1,06,429	27,72,352	4,790	6,73,667	2,92,574	1,965	46,102	1,342	2,028	4,05,516	112	1,11,700	8,70,609	5,84,184	48,762.00	3,629.35	1,11,863	1,21,281	7,461	0.00

14	जम्मू और कश्मीर	2,82,312	69,15,000	13,208	16,44,090	20,09,414	14,574	66,631	1,841	1,958	3,91,600	131	1,31,080	9,20,451	10,49,256	43,121.00	2,055.78	143289 (including Ladakh)	1,55,975	4,679	0.43
15	झारखंड	8,83,433	2,40,94,622	44,593	57,11,600	53,60,642	37,520	2,39,019	2,396	717	1,43,436	1,059	10,59,140	12,31,912	72,27,042	1,05,631.00	7,666.54	12,88,850	0	0	9.66
16	कर्नाटक	15,41,056	3,86,45,940	80,975	1,27,22,730	57,07,480	37,831	4,45,454	13,045	11,600	23,20,014	2,055	20,55,380	48,39,093	79,87,088	3,19,389.00	24,924.83	13,98,410	13,62,438	68,122	118.09
17	केरल	5,87,791	1,49,27,032	27,956	35,91,483	5,11,114	3,323	3,99,278	7,076	2,142	4,28,300	307	3,06,897	27,16,844	24,13,289	1,21,319.00	9,250.22	6,88,329	4,54,124	4,541	0.00
18	लद्दाख	5,645	1,41,480	233	29,008	19,172	166	994	43	33	6,548	0	0	0	9,951	247.00	21.08	Included in J&K above	Included in J&K above	0.00	
19	लक्षद्वीप	864	21,800	39	5,200	517	3	355	2	15	2,900	5	4,530	0	2,867		0.00	324	520	33	
20	मध्य प्रदेश	18,00,437	4,93,09,348	77,890	96,95,633	1,13,35,496	77,378	3,73,685	6,966	1,754	3,50,797	159	1,59,330	68,12,020	1,66,22,091	1,69,059.00	10,711.54	22,05,963	8,91,850	17,837	5.10
21	महाराष्ट्र	25,27,129	6,82,50,268	1,03,643	1,32,15,103	76,20,813	50,513	7,99,050	30,324	17,315	34,63,000	762	7,62,170	86,32,718	1,29,47,062	4,76,836.00	31,528.87	11,68,385	8,94,408	17,888	59.50
22	मणिपुर	90,747	20,47,906	4,192	5,87,503	2,76,213	2,120	9,880	110	676	1,35,200	82	82,348	2,83,457	5,04,169		0.00	61,972	52,605	526	
23	मेघालय	85,803	21,45,145	3,145	4,21,503	1,96,213	1,408	11,169	153	2,145	4,29,000	84	84,300	1,15,638	2,68,908	73,342.00	2,224.82	54,127	24,730	1,237	
24	मिजोरम	25,288	6,62,132	1,243	1,55,405	55,270	420	3,653	52	250	50,000	30	29,750	69,425	58,176		0.00	27,538	51,451	1,544	
25	नागालैंड	53,964	14,04,600	2,276	2,84,940	89,967	593	7,179	57	1,405	2,80,926	56	56,000	1,81,008	1,57,792		0.00	49,210	19,046	381	
26	ओडिशा	12,06,580	2,88,37,690	74,941	95,19,513	83,65,761	57,172	8,51,068	4,090	630	1,26,000	15	15,130	20,03,185	81,21,020	1,62,121.00	10,148.60	20,27,022	20,83,288	31,249	99.49
27	पुडुचेरी	23,211	5,97,945	1,273	1,78,500	31,098	203	11,402	331	73	14,680	15	15,000	9,715	83,926	16,456.00	1,011.52	28,757	0	0	
28	पंजाब	5,33,154	1,33,65,720	27,751	35,47,747	24,53,238	16,351	1,86,810	6,949	10,902	21,80,400	1,016	10,15,720	17,52,498	33,22,186	79,150.00	5,054.89	1,40,404	2,89,237	17,354	0.65
29	राजस्थान	17,52,646	4,44,44,332	75,043	99,94,240	1,11,23,374	73,858	2,99,445	10,791	42,478	84,95,600	2,003	20,03,000	51,64,391	1,56,13,962	1,23,266.00	7,946.42	9,87,781	22,30,000	55,750	15.93
30	सिक्किम	14,479	3,65,120	614	93,817	21,301	165	8,380	86	315	63,000	15	15,042	0	42,552		0.00	18,332	7,836	157	
31	तमिलनाडु	12,31,653	2,97,45,840	33,324	1,11,07,920	61,85,688	41,390	5,39,177	20,904	1,449	2,89,888	34	34,000	35,59,533	60,75,989	5,81,768.00	34,570.97	18,14,700	13,70,601	27,412	14.73
32	तेलंगाना	7,24,662	1,80,62,980	15,804	52,68,030	18,74,171	13,036	1,30,127	8,682	180	35,991	34	34,460	33,31,468	52,60,800	1,78,225.00	10,233.62	6,65,956	8,30,324	12,455	0.00
33	त्रिपुरा	94,893	23,73,722	4,420	5,40,847	4,46,819	3,747	60,650	240	22	4,386	22	21,929	1,90,441	4,31,770		0.00	1,38,473	39,082	1,172	
34	उत्तर प्रदेश	56,16,735	14,19,99,424	2,69,530	3,34,08,790	2,70,74,796	1,81,728	6,45,805	13,540	11,809	23,61,848	1,060	10,60,497	1,76,75,849	3,18,13,530	2,30,453.00	15,741.60	52,57,390	18,25,415	35,395	0.46
35	उत्तराखंड	2,37,842	58,95,600	10,736	13,44,657	7,62,313	5,015	65,879	1,910	383	76,554	34	33,800	6,74,688	12,67,372	41,863.00	3,234.58	2,15,109	2,28,423	4,568	3.49
36	पश्चिम बंगाल	23,39,724	5,83,10,164	91,452	1,40,19,333	1,72,88,933	1,16,938	18,78,146	11,346	45,894	91,78,800	2,647	26,46,760	0	1,89,95,377	4,28,442.00	21,132.39	21,32,959	21,98,349	21,983	0.46
	कुल	**2,97,51,729**	**75,80,40,523**	**13,26,516**	**18,32,15,657**	**14,12,01,683**	**9,67,041**	91,90,006	2,01,364	**2,74,279**	**5,48,55,773**	**16,751**	**1,67,50,807**	**8,94,54,616**	**20,65,00,000**	**39,85,486.00**	**2,55,696.54**	**2,81,45,039**	**1,82,67,685**	**3,81,702**	**502.33**
														2000 रुयेकप्रत् . राशि कुल पर= 1789092.3	कुल अंतरित राशि = 3095206.845						

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1092
(जिसका उत्तर सोमवार, 08 फरवरी, 2021/19 माघ, 1942 (शक) को दिया जाना है।)

विशेष आर्थिक पैकेज

1092. श्री हंसमुखभाई सोमाभाई पटेलः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने तथा भारत को आत्मनिर्भर बनाने और एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए राहत और क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम से कोई विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उद्योगों द्वारा उठाए गए लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार ने एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों को सहायता उपलब्ध कराते हुए तथा देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए, कोविड-19 से लड़ने के विकल्पों के साथ 13 मई, 2020 से 17 मई, 2020, 12 अक्तूबर, 2020 तथा 12 नवम्बर, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेजों (एएनबी) क्रमशः 1.0, 2.0 तथा 3.0 की घोषणा की थी। यह मुख्यतः दीर्घकालिक उपाय है जिन पर नियत समय में परिणाम दर्शनीय होंगे। एएनबी पैकेजों के विवरण की ओर संकेत करता हुआ एक ब्यौरा अनुबंध-I पर है। आत्मनिर्भर भारत पैकेजों के तहत की गई निम्नलिखित घोषणा के लाभ उद्योगों द्वारा उठाए जा रहे हैं:

(i) 10 क्षेत्रों के लिए श्वेत सामग्री, ऑटो, ऑटो घटक क्षेत्रों तथा 145980 करोड़ रुपए के 5 वर्ष की अवधि से अधिक के अनुमोदित वित्तीय परिव्यय के साथ अग्रिम-सैल बैटरी सहित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना। यह पीएलआई योजना अधिक घरेलू विनिर्माण तथा कार्यों के उत्पादन का नेतृत्व करेगी।

(ii) टर्नओवर के अतिरिक्त मानदंड तथा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच भेद को खत्म करते हुए एमएसएमई की परिभाषा ने निवेश सीमा में बढ़ोत्तरी में संशोधन किया।

(iii) निधियों की निधि (आत्मनिर्भर निधि) के माध्यम से एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश - दिनांक 05 अगस्त, 2020 को आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि पर दिशा-निर्देश जारी किया गया था और इस योजना का कार्यान्वयन करने और संचालन के लिए विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) के रूप में एनएसआईसी वैंचर पूंजी निधि लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल किया गया है।

(iv) एमएसएमई सहित व्यापारों के लिए 03 लाख करोड़ रुपए के कोलेट्रल-मुक्त स्वचालित ऋण।

(v) तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए गारंटी उपलब्ध कराते हुए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस 2.0)।

(vi) व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों के लिए प्रतिस्थापन के रूप में एमएसएमई के लिए ई-बाजार लिंकेज के एमएसएमई-उन्नयन हेतु तथा सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से एमएसएमई विक्रेता को देयताओं का समयबद्ध समझौते के लिए हस्तक्षेप।

(vii) एनबीएफसी के लिए 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0;

(viii) डेवलपर्स तथा होम बायर्स के लिए रिहायसी रियल एस्टेट आयकर राहत हेतु डिमांड बूस्टर।

(ix) प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) के लिए 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिव्यय।

(x) तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए 24 जून, 2020 को 20,000 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण जारी किया गया। 21.01.2021 तक, 34 बैंकों का मेंम्बर लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स (एमएलआई) के रूप में पंजीकरण किया गया है; 13 बैंकों ने गारंटी का लाभ उठाना शुरू कर दिया है तथा 28.59 करोड़ रुपए की गांरटी को 259 उधारकर्ताओं को बढ़ा दिया गया है।

(xi) एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी योजना।

(xii) डीआईएससीओएम के लिए 90,000 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी इंजेक्शन)।

*****

अनुलग्नक -I

08.02.2021 पर जवाब के लिए आर अतारांकित प्रश्न सं. 1092 के भागों (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क. 13.05.2020 को की गई घोषणाएँ

1. रुपये 3 लाख करोड़ व्यवसायों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा, एमएसएमई सहित
2. रुपये 20,000 करोड़ तनाव एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण
3. रुपये 50,000 करोड़ फंड की एमएसएमई फंड के माध्यम से इक्विटी अर्क
4. एमएसएमई की नई परिभाषा और एमएसएमई के लिए अन्य उपाय
5. सरकार निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदाएं 200 करोड़ रू. तक
6. जून, जुलाई और अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए एक और 3 महीने के लिए व्यापार और संगठित श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि सहायता का विस्तार
7. ईपीएफ अंशदान नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए अगले 3 महीनों के लिए ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए 12% से 10% करने के लिए 3 महीने के लिए कम किया जा करने के लिए
8. रु. एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ की विशेष तरलता योजना
9. रु. एनबीएफसी / एमएफआई की देयताओं के लिए 45,000 करोड़ की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0
10. रुपये 90,000 करोड़ णडस्कॉमों के लिए लिक्विडिटी इंजेक्शन
11. संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए छह महीने तक के विस्तार से दिए गए ठेकेदारों को राहत, जिसमें ईपीसी और रियायत समझौतों के संबंध में
12. रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्ण होने की तारीख को छह महीने तक बढ़ाया जाएगा।
13. व्यापार के लिए कर में राहत के रूप में लंबित आयकर कर को धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-कॉर्पोरेट व्यवसायों और व्यवसायों को तुरंत जारी किया जाना चाहिए
14. वित्त वर्ष 2015-21 की शेष अवधि के लिए 'टैक्स डिडक्शन एट सोर्स' और 'टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स' की दरों में 25% की कमी
15. विभिन्न कर से संबंधित अनुपालन के लिए देय तिथियां

ख. 14.05.2020 को की गई घोषणाएँ

16. 2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति।
17. मार्च, 2021-वन नेशन वन राशन कार्ड की भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकानों से पीडीएस (राशन) का उपयोग करने के लिए प्रवासियों को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी प्रणाली
18. प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों की योजना शुरू की जाएगी
19. 12 महीने के लिए 2% ब्याज सहायता शिशु मुद्र ऋण -। 1500 करोड़ रु की राहत
20. रुपये 5000 करोड़ स्ट्रीट विक्रेताओं के लिए ऋण सुविधा।
21. 70,000 करोड़ रू. पीएमएवाई तहत एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के विस्तार के माध्यम से आवास क्षेत्र और मध्यम आय वर्ग के लिए बढ़ावा (शहरी)
22. रुपये 6,000 करोड़ रोजगार बनाना सीएएमपीए निधियों का उपयोग के लिए

23. रुपये 30,000 करोड़ नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी
24. रुपये 2 लाख करोड़ रियायती ऋण 2.5 बढ़ावा करोड़ किसानों के तहत किसान क्रेडिट कार्ड योजना

ग. 15.05.2020 को की गई घोषणाएँ

25. रुपये 1 लाख करोड़ किसानों के लिए कृषि गेट बुनियादी सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
26. रुपये 10,000 करोड़ माइक्रो खाद्य उद्यम औपचारिक के लिए योजना (यूके)
27. रुपये 20,000 करोड़ के माध्यम से मछुआरों के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)
28. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
29. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना - रु। 15,000 करोड़ रु
30. हर्बल संवर्धन को बढ़ावा : 4,000 करोड़ रुपये का परिव्यय
31. मधुमक्खी पालन की पहल - रुपये 500 करोड़
32. 'टॉप' से कुल के लिए - रुपये 500 करोड़
33. कृषि क्षेत्र के लिए शासन और प्रशासनिक सुधार के उपाय

i. किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन
ii. किसानों को विपणन विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार
iii. कृषि उत्पादन मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन

घ. 16.05.2020 को की गई घोषणाएँ

34. कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन शुरू किया गया
35. कोयला क्षेत्र में विविध अवसर
36. कोयला क्षेत्र में उदारवादी शासन
37. खनिज क्षेत्र में निजी निवेश और नीति सुधार को बढ़ाना
38. रक्षा उत्पादन में स्व रिलायंस को बढ़ाना
39. रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार
40. नागरिक उड्डयन के लिए कुशल एयरस्पेस प्रबंधन
41. पीपीपी के माध्यम से अधिक विश्व स्तरीय हवाई अड्डे
42. विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने वाला भारत
43. विद्युत क्षेत्र में टैरिफ नीति सुधार; संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण
44. सामाजिक क्षेत्र में सुधारित व्यवहार्यता गैप वित्त योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना
45. अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना
46. परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

ङ. 17.05.2020 को की गई घोषणाएँ

47. रुपये 40,000 करोड़ वृद्धि एमजीएनआरईजीएस रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदान करने के लिए आवंटन में
48. भविष्य के महामारियों के लिए भारत को तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश में वृद्धि
49. टेक्नोलॉजी पोटेंशियल एजुकेशन विद इक्विटी पोस्ट-सीओवीआईडी
50. आईबीसी से संबंधित उपायों के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और वृद्धि

51. कंपनी अधिनियम की चूक को कम करना
52. कॉर्पोरेट्स के लिए व्यापार करने में आसानी
53. एक नए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति
54. 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा को 3% से बढ़ाकर केवल 5% करना और राज्य स्तरीय सुधारों को बढ़ावा देना

च. 12 अक्टूबर, 2020 को की गई घोषणाएँ

54. एलटीसी कैश वाउचर योजना- 2018-21 के दौरान एक एलटीसी के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान, (छुट्टी नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान और एलटीसी किराया का कर-मुक्त भुगतान)
54. विशेष महोत्सव अग्रिम योजना- रु. की ब्याज मुक्त अग्रिम। 10,000, प्रीपेड रूपे कार्ड के रूप में, 31 मार्च, 2021 तक खर्च किया जाएगा।
55. राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय बूस्ट - एक ₹12,000 के लिए राज्यों को विशेष ब्याज मुक्त 50 साल के ऋण करोड़ पूंजीगत व्यय
- 8 उत्तर पूर्व राज्यों के लिए 200 करोड़
- ₹ 450 करोड़ प्रत्येक उत्तराखंड , हिमाचल
- शेष राज्यों के लिए of 7,500 करोड़ , वित्त आयोग के विचलन के अनुसार

56. सड़क, रक्षा, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू स्तर पर पूंजीगत उपकरणों पर पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त बजट के लिए पूंजीगत व्यय 25,000 करोड़ (बजट 2020 -21 में 4.13 लाख करोड़ के अलावा) प्रदान किया गया। ।

छ. 12 नवंबर 2020 को की गई घोषणाएं

57. आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना - कोविड-19 वसूली के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए। यदि ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान नए कर्मचारियों को ईपीएफओ नंबर के बिना लेते हैं या जो पहले नौकरी खो चुके हैं, तो योजना इन कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी।
58. एमएसएमई व्यवसायों, मुद्रा उधारकर्ताओं और व्यक्तियों (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण) के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, 31 मार्च, 2021 तक विस्तारित । कोविड-19 के कारण हेल्थकेयर क्षेत्र और 26 क्षेत्रों के लिए शुरू की गई क्रेडिट गारंटी सहायता योजना। संस्थाओं को बकाया ऋण का 20% तक अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा; पुनर्भुगतान पाँच वर्षों (1 वर्ष की अधिस्थगन + 4 वर्ष की अदायगी) में किया जा सकता है।
59. 10 चैंपियन क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन मूल्य 59 1.46 लाख करोड़ की पेशकश की।
60. 18,000 करोड़ अतिरिक्त अतिरिक्त पीएम आवास योजना के लिए - शहरी
61. निर्माण और अवसंरचना के लिए सहायता - सरकारी निविदाओं पर अर्जन जमा राशि और प्रदर्शन सुरक्षा में छूट
62. डेवलपर्स और गृह खरीदारों के लिए आयकर राहत
63. इंफ्रा डेट फाइनेंसिंग के लिए प्लेटफार्म
64. कृषि के लिए समर्थन: सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए: 65,000 करोड़
65. ग्रामीण रोजगार के लिए बूस्ट: पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया जा रहा है। निधि का उपयोग मनरेगा या ग्राम सड़क योजना के लिए किया जा सकता है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी।
66. प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के लिए बूस्ट भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस स्कीम) के तहत विकासशील देशों को भारत द्वारा दी गई सहायता के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बढ़ावा दिया जाना है। यह एक्जिम बैंक को इन

लाइन ऑफ क्रेडिट विकास सहायता गतिविधियों को सुगम बनाने और भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

67. रक्षा उपकरण, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा पर पूंजी और औद्योगिक व्यय के लिए पूंजी और औद्योगिक प्रोत्साहन। 10,200 करोड़ अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

68. कोविड वैक्सीन के लिए आर एंड डी अनुदान; कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के लिए 900 करोड़ जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान किया जा रहा है। इसमें वैक्सीन वितरण के लिए वैक्सीन या लॉजिस्टिक्स की लागत शामिल नहीं है (इसके लिए जो भी आवश्यक हो प्रदान किया जाएगा)

****

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1118
(जिसका उत्तर सोमवार, 08 फरवरी , 2021 /19 माघ, 1942 (शक) को दिया जाना है)

'आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन पैकेज'

1118. श्री बंदी संजय कुमारः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा 14 मई, 2020 को आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत 20 लाख करोड़ की प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पैकेज के क्या परिणाम रहे और इस पैकेज से अब तक व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस पैकेज की घोषणा के साथ कोई वांछित परिणाम प्राप्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): भारत सरकार ने 13 मई, 2020 से 17 मई, 2020, 12 अक्तूबर, 2020 और 12 नवंबर, 2020 को क्रमशः 1.0, 2.0, 3.0 आत्मनिर्भर भारत पैकेज (एएनबी) की घोषणा की। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कोविड-19 से लड़ने के उद्देश्य से और भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न दीर्घावधिक स्कीमें/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं। आत्मनिर्भर भारत की जानकारी को दर्शाता एक विवरण **अनुबंध-I** पर है।

सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत राज्य/संघ राज्यों क्षेत्रों के माध्यम से 548,55,773 प्रवासियों को 2,74,278.87 मीट्रिक टन खाद्यान और 1,67,50,807 प्रवासियों को 16751 मीट्रिक टन चना उपलब्ध कराया। इसके अतिरिक्त ईसीएलजीएस स्कीम के तहत 2,01,364 करोड़ भारतीय रुपये के मूल्य की 91,90,006 गारंटियां उपलब्ध कराई गईं।

मंत्रालय/विभाग को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत उनसे संबंधित स्कीमों/घोषित कार्यक्रमों को बनाने, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने और बजट अनुमान में उपलब्ध निधि में से व्यय पूरा करने और जहां कही आवश्यक हो संशोधित अनुमानों में अतिरिक्त निधियां देने का दायित्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 राष्ट्रीय महामारी से उत्पन्न चुनौतियों को पूरा करने के लिए संसाधन आवश्यकता को देखते हुए जीएसडीपी के 2 प्रतिशत तक की अतिरिक्त उधार सीमा राज्यों को दी गई 4,27,302 करोड़ रु. की राशि के समान है, जो कि वर्ष 2020-21 के लिए जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की सामान्य उधार सीमा के अतिरिक्त है। इसका 01 प्रतिशत निम्नलिखित चार विशेष राज्य स्तरीय सुधारों के क्रियान्वित के अधीन है, जहां प्रत्येक सुधार का भारांक जीएसडीपी का 0.25 प्रतिशत हैः (क) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (ख) कारोबार करने का सुगमता सुधार (ग) शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगित सुधार; और (घ) विद्युत क्षेत्र सुधार। वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसडीपी के 2 प्रतिशत में से प्रस्तावित जीएसडीपी का 0.5 प्रतिशत खुला बाजार उधार (ओएमबी) को बढ़ाने के लिए 1,06,830 करोड़ रु. की राशि राज्यों को जारी की गई। इसके अतिरिक्त, जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न कमियों को पूरा करने के लिए उधार के विकल्प 1 का चयन करने वाले राज्यों को जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत की छूट प्रदान करने के लिए चार सुधारों में से कम से कम तीन के कार्यान्वयन की शर्त है। सभी राज्यों ने पहले ही विकल्प 1 का चयन किया है और 1,06,830 करोड़ रु. की अतिरिक्त उधार अनुमति प्रदान की गई। कई राज्यों ने नियत सुधार किए और सुधार लिंक उधार अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 02.02.2021 तक राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली के लिए अतिरिक्त उधार आबंटित किए गए, 11 राज्यों को कारोबार करने की सुगमता सुधारों के कार्यान्वयन 5 राज्यों को स्थानीय निकाय सुधारों के कार्यान्वयन और 2 राज्यों को विद्युत क्षेत्र सुधार के तहत किसानों को प्रत्यक्ष लाभ स्कीम के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त उधार आबंटित किया गया है। राज्यों को दिनांक 02.02.2021 तक जारी कुल सुधार सम्बद्ध अतिरिक्त उधारी

अनुमति 73,257 करोड़ रु. रही है। 'राज्यों को पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता' स्कीम के तहत राज्य सरकारों को न्यूनतम 12,000 करोड़ रु. की संपूर्ण राशि के 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण के रूप में विशेष सहायता उपलब्ध कराई गई है। 27 राज्यों के 11179.5 करोड़ रु. की राशि के पूंजीगत व्यय प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है और वित्त वर्ष 2020-21 में पहली किस्त के रूप में 5589.70 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए खर्चों, जहां लागू हों, का विवरण **अनुबंध-II** पर हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषित स्कीमें/कार्यक्रम मुख्यतः दीर्घावधिक उपाय हैं जिसमें परिणाम शीघ्र ही दिखेंगे।

****

08.02.2021 पर जवाब के लिए आर अतारांकित प्रश्न सं. 1118 के भागों (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क. 13.05.2020 को की गई घोषणाएँ

1. रुपये 3 लाख करोड़ व्यवसायों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा, एमएसएमई सहित
2. रुपये 20,000 करोड़ तनाव एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण
3. रुपये 50,000 करोड़ फंड की एमएसएमई फंड के माध्यम से इक्विटी अर्क
4. एमएसएमई की नई परिभाषा और एमएसएमई के लिए अन्य उपाय
5. सरकार निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदाएं 200 करोड़ रू. तक
6. जून, जुलाई और अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए एक और 3 महीने के लिए व्यापार और संगठित श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि सहायता का विस्तार
7. ईपीएफ अंशदान नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए अगले 3 महीनों के लिए ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए 12% से 10% करने के लिए 3 महीने के लिए कम किया जा करने के लिए
8. एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रु. की विशेष तरलता योजना
9. एनबीएफसी/एमएफआई की देयताओं के लिए 45,000 करोड़ रु. की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0
10. रुपये 90,000 करोड़ णडस्कॉमों के लिए लिक्विडिटी इंजेक्शन
11. संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए छह महीने तक के विस्तार से दिए गए ठेकेदारों को राहत, जिसमें ईपीसी और रियायत समझौतों के संबंध में
12. रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्ण होने की तारीख को छह महीने तक बढ़ाया जाएगा।
13. व्यापार के लिए कर में राहत के रूप में लंबित आयकर कर को धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-कॉर्पोरेट व्यवसायों और व्यवसायों को तुरंत जारी किया जाना चाहिए
14. वित्त वर्ष 2015-21 की शेष अवधि के लिए 'टैक्स डिडक्शन एट सोर्स' और 'टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स' की दरों में 25% की कमी
15. विभिन्न कर से संबंधित अनुपालन के लिए देय तिथियां

ख. 14.05.2020 को की गई घोषणाएँ

16. 2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति।
17. मार्च, 2021-वन नेशन वन राशन कार्ड की भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकानों से पीडीएस (राशन) का उपयोग करने के लिए प्रवासियों को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी प्रणाली
18. प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों की योजना शुरू की जाएगी
19. 12 महीने के लिए 2% ब्याज सहायता शिशु मुद्र ऋण -। 1500 करोड़ रु रुपये की राहत
20. रुपये 5000 करोड़ स्ट्रीट विक्रेताओं के लिए ऋण सुविधा।
21. 70 , 000 करोड़ रू. पीएमएवाई तहत एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के विस्तार के माध्यम से आवास क्षेत्र और मध्यम आय वर्ग के लिए बढ़ावा (शहरी)
22. रुपये 6,000 करोड़ रोजगार बनाना सीएएमपीए निधियों का उपयोग के लिए
23. रुपये 30,000 करोड़ नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी
24. रुपये 2 लाख करोड़ रियायती ऋण 2.5 बढ़ावा करोड़ किसानों के तहत किसान क्रेडिट कार्ड योजना

ग. 15.05.2020 को की गई घोषणाएँ

25. रुपये 1 लाख करोड़ किसानों के लिए कृषि गेट बुनियादी सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
26. रुपये 10,000 करोड़ माइक्रो खाद्य उद्यम औपचारिक के लिए योजना (यूके)
27. रुपये 20,000 करोड़ के माध्यम से मछुआरों के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)
28. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
29. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना - रु। 15,000 करोड़ रु
30. हर्बल संवर्धन को बढ़ावा : 4,000 करोड़ रुपये का परिव्यय
31. मधुमक्खी पालन की पहल - रुपये 500 करोड़

32. 'टॉप' से कुल के लिए - रुपये 500 करोड़

33. कृषि क्षेत्र के लिए शासन और प्रशासनिक सुधार के उपाय

i. किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन

ii. किसानों को विपणन विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार

iii. कृषि उत्पादन मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन

घ. 16.05.2020 को की गई घोषणाएँ

34. कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन शुरू किया गया

35. कोयला क्षेत्र में विविध अवसर

36. कोयला क्षेत्र में उदारवादी शासन

37. खनिज क्षेत्र में निजी निवेश और नीति सुधार को बढ़ाना

38. रक्षा उत्पादन में स्व रिलायंस को बढ़ाना

39. रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार

40. नागरिक उड्डयन के लिए कुशल एयरस्पेस प्रबंधन

41. पीपीपी के माध्यम से अधिक विश्व स्तरीय हवाई अड्डे

42. विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने वाला भारत

43. विद्युत क्षेत्र में टैरिफ नीति सुधार; संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण

44. सामाजिक क्षेत्र में सुधारित व्यवहार्यता गैप वित्त योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना

45. अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना

46. परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

ङ. 17.05.2020 को की गई घोषणाएँ

47. रुपये 40,000 करोड़ वृद्धि एमजीएनआरईजीएस रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदान करने के लिए आवंटन में

48. भविष्य के महामारियों के लिए भारत को तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश में वृद्धि

49. टेक्नोलॉजी पोटेंशियल एजुकेशन विद इक्विटी पोस्ट-सीओवीआईडी

50. आईबीसी से संबंधित उपायों के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और वृद्धि

51. कंपनी अधिनियम की चूक को कम करना

52. कॉर्पोरेट्स के लिए व्यापार करने में आसानी

53. एक नए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति

54. 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा को 3% से बढ़ाकर केवल 5% करना और राज्य स्तरीय सुधारों को बढ़ावा देना

च. 12 अक्टूबर, 2020 को की गई घोषणाएँ

55. एलटीसी कैश वाउचर योजना- 2018-21 के दौरान एक एलटीसी के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान, (छुट्टी नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान और एलटीसी किराया का कर-मुक्त भुगतान)

56. विशेष महोत्सव अग्रिम योजना- रु. की ब्याज मुक्त अग्रिम। 10,000, प्रीपेड रूपे कार्ड के रूप में, 31 मार्च, 2021 तक खर्च किया जाएगा।

57. राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय बूस्ट - एक ₹12,000 के लिए राज्यों को विशेष ब्याज मुक्त 50 साल के ऋण करोड़ पूंजीगत व्यय

- 8 उत्तर पूर्व राज्यों के लिए 200 करोड़
- ₹ 450 करोड़ प्रत्येक उत्तराखंड , हिमाचल
- शेष राज्यों के लिए of 7,500 करोड़ , वित्त आयोग के विचलन के अनुसार

58. सड़क, रक्षा, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू स्तर पर पूंजीगत उपकरणों पर पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त बजट के लिए पूंजीगत व्यय 25,000 करोड़ (बजट 2020 -21 में 4.13 लाख करोड़ के अलावा) प्रदान किया गया। ।

छ. 12 नवंबर, 2020 को की गई घोषणाएं

59. आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना - कोविड-19 वसूली के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए। यदि ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान नए कर्मचारियों को ईपीएफओ नंबर के बिना लेते हैं या जो पहले नौकरी खो चुके हैं, तो योजना इन कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी।

60. एमएसएमई व्यवसायों, मुद्रा उधारकर्ताओं और व्यक्तियों (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण) के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, 31 मार्च, 2021 तक विस्तारित । कोविड-19 के कारण हेल्थकेयर क्षेत्र और 26 क्षेत्रों के लिए शुरू की गई क्रेडिट गारंटी सहायता योजना। संस्थाओं को बकाया ऋण का 20% तक अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा; पुनर्भुगतान पाँच वर्षों (1 वर्ष की अधिस्थगन + 4 वर्ष की अदायगी) में किया जा सकता है।

61. 10 चैंपियन क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन मूल्य 59 1.46 लाख करोड़ की पेशकश की।

62. 18,000 करोड़ अतिरिक्त अतिरिक्त पीएम आवास योजना के लिए - शहरी

63. निर्माण और अवसंरचना के लिए सहायता - सरकारी निविदाओं पर अर्जन जमा राशि और प्रदर्शन सुरक्षा में छूट

64. डेवलपर्स और गृह खरीदारों के लिए आयकर राहत

65. इंफ्रा डेट फाइनेंसिंग के लिए प्लेटफार्म

66. कृषि के लिए समर्थन: सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए: 65,000 करोड़

67. ग्रामीण रोजगार के लिए बूस्ट: पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया जा रहा है । निधि का उपयोग मनरेगा या ग्राम सड़क योजना के लिए किया जा सकता है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी।

68. प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के लिए बूस्ट भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस स्कीम) के तहत विकासशील देशों को भारत द्वारा दी गई सहायता के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बढ़ावा दिया जाना है। यह एक्जिम बैंक को इन लाइन ऑफ क्रेडिट विकास सहायता गतिविधियों को सुगम बनाने और भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

69. रक्षा उपकरण, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा पर पूंजी और औद्योगिक व्यय के लिए पूंजी और औद्योगिक प्रोत्साहन। 10,200 करोड़ अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

70. कोविड वैक्सीन के लिए आर एंड डी अनुदान; कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के लिए 900 करोड़ जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान किया जा रहा है। इसमें वैक्सीन वितरण के लिए वैक्सीन या लॉजिस्टिक्स की लागत शामिल नहीं है (इसके लिए जो भी आवश्यक हो प्रदान किया जाएगा)

****

अनुलग्नक- II

08.02.2021 के लिए राज्य सभा प्रश्न सं.1118 के भागों (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्र.सं.	**मंत्रालय / विभाग का नाम**	**योजना का नाम**	**राजस्व / पूंजी**	**वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आवंटन**	**22.1.2021 को व्यय**	**22.1.2021 के अनुसार व्यय (बीई / आरई के संदर्भ में%)**
1.	वित्तीय सेवा विभाग	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (ईसीएलजीएस) (ईसीएलजीएस 1.0 और ईसीएलजीएस 2.0) की सहायता	राजस्व	4000.00 करोड़	4000.00 करोड़	100
2.	-वही-	ब्याज पर 2% की सब्सिडी पर सिडबी को सब्सिडी (सब्सिडी)	राजस्व	1232.00 करोड़	775.00 करोड़	62.91
3.	-वही-	शेयर पूंजी एक्जिम बैंक की सदस्यता	पूंजी	1300.00 करोड़	1300.00 करोड़	100
4.	-वही-	आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सरकार द्वारा दी गई गारंटी पर दावों के निपटान के लिए ऋण	पूंजी	500.00 करोड़	0.00	0
5.क	-वही-	विशेष तरलता योजना के तहत सरकार द्वारा दी गई गारंटी पर दावों के निपटान के लिए ऋण	पूंजी	500.00 करोड़	0.00	0
5.ख	-वही-	रुपये 30,000 करोड़ नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी अनुदान	आरबीआई द्वारा विशेष विंडो बनाई गई है जिसके माध्यम से नाबार्ड रु. के अतिरिक्त पुनर्वित्त समर्थन का विस्तार करेगा। ग्रामीण सहकारी बैंकों और आरआरबी की फसली ऋण आवश्यकता के लिए 30,000 करोड़ रुपये से अधिक और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य पुनर्वित्त मार्ग के माध्यम से लगभग 3 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने के लिए - ज्यादातर छोटे और सीमांत किसानों के लिए नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली 90,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि । 22.01.2021 को रु. इस विशेष सुविधा से 25,000 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। शेष राशि रु. छोटे एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई के लिए आरबीआई द्वारा नाबार्ड को आवंटित एसएलएफ के तहत 5000 करोड़ । 22.01.2021 को, नाबार्ड ने रु. को मंजूरी दे दी है। इस कोष के अंतर्गत क्रमशः 992 करोड़ और रु .15 करोड़ । डीएफएस में कोई अलग बजटीय प्रावधान नहीं।		
6.	-वही-	पीएम-किसन लाभार्थियों, मछुआरों और पशुपालन किसानों सहित केसीसी किसानों के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करने के	योजना कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण (डीएसी और एफडब्ल्यू) विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। केसीसी ड्राइव की मॉनिटरिंग डीएफएस द्वारा पीएसबी और नाबार्ड के परामर्श से की जाती है। 22.1.2021 को कुल कवरेज: रुपये की केसीसी			

		लिए विशेष संतृप्ति अभियान ।	क्रेडिट सीमा के साथ 185.34 लाख ेकसीसी 1.74 लाख करोड़ (लगभग)। डीएफएस की ओर से कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है।			
7.	डीपीआईआईटी	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट	राजस्व	1200.00 करोड़	1200.00 करोड़ [रु. पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए 1195 और रु. 5.00 जीआईए जनरल} के लिए।	स्कीम का 100% बीई 20-21 और कुल बीई 20-21 का 18.16% है।
8.	-करना	जम्मू-कश्मीर उत्तराखंड , हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों सिक्किम में स्थित इकाइयों को माल और सेवा कर व्यवस्था के तहत बजटीय समर्थन	राजस्व	1716.00 करोड़	1716.00 करोड़	स्कीम का 100% बीई 20-21 और कुल बीई 20-21 का 25.97% है।
9.	मत्स्य मंत्रालय, एएच, डेयरी, (मत्स्य विभाग)	पीएमएमएसवाई	स्कीम घटक राजस्व और पूंजीगत व्यय को अलग से कवर नहीं करता है ।	560 करोड	422.33 करोड़	84.46 है
10.	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत वित्तीय सुविधा	राजस्व	शून्य *	-	-
	* इस योजना के तहत, इस योजना के तहत व्यय की निगरानी परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के लिए प्रशासनिक लागत, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण / ऋण संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋणों के लिए ब्याज और ऋण गारंटी के लिए की जाएगी।					
11.	पशुपालन और डेयरी विभाग	राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम	राजस्व	-	515.72 करोड़	3967.00 है
12.	फार्मास्यूटिकल्स विभाग	फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	योजना को अधिसूचित किया जाना बाकी है			
13.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	प्रधानमंत्री की आत्म निर्भर स्वस्थ भारत योजना	योजना को अधिसूचित किया जाना बाकी है			
14.	भारी उद्योग विभाग	एडवांस केमिस्ट्री सेल बेटर	योजना को अधिसूचित किया जाना बाकी है			
15.	-करना-	ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक	योजना को अधिसूचित किया जाना बाकी है			
16.	इस्पात मंत्रालय	विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना	योजना को अधिसूचित किया जाना बाकी है			
17.	आर्थिक मामलों का	रुपये 30,000 करोड़ एनबी	23 एनबीएफसी/एचएफसी के लिए 28 उपकरणों के			

	विभाग	एफसी के लिए विशेष लिक्विडिटी योजना / एचएफसी / एमएफआई	माध्यम से कुल ₹ 71,25,51,62,900/- वितरित किया गया है। सभी उपकरणों के लिए 72,49,60,15,809 / - मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान प्राप्त हुआ।
18.	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	प्रधान मंत्री उद्यम योजना प्रसंस्करण माइक्रो भोजन की औपचारिक (पीएम-एफएमई स्कीम)	राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थानों को कुल राशि रु . 1,03,83,33,000 / - जारी की गई है।

****

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1150
(जिसका उत्तर सोमवार, 08 फरवरी, 2021/19 माघ, 1942 (शक) को दिया जाना है।)

20 लाख करोड़ का वित्तीय पैकेज

1150. श्री भर्तृहरि महताबः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के वित्तीय पैकेज का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को देश में उक्त पैकेज की घोषणा करने के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) उक्त पैकेज की घोषणा करने के पश्चात् विभिन्न उद्योगों/व्यक्तियों को संवितरित ऋणों/ न लौटाए जाने योग्य प्रतिदेय धनराशि का बैंक-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) उक्त पैकेज के लक्षित लाभार्थियों तक वास्तव में वित्तीय सहायता पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज (एएनबी) 1.0, 2.0 और 3.0 को क्रमशः 13 मई, 2020 से 17 मई, 2020 तक, 12 अक्तूबर, 2020 और 12 नवम्बर, 2020 की घोषणा की थी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में विभिन्न दीर्घावधि योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां सम्मिलित हैं जिसमें कोविड-19 का मुकाबला करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से घोषणा की गई। यह सब मुख्यतः दीर्घावधि उपाय हैं जिनका परिणाम आने वाले समय में दिखाई देगा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-I** पर दर्शाया गया है।

(घ): ऋणों/गारंटियों के विस्तृत विवरण जो कि पैकेज के घोषणा के पश्चात् जारी हुई है को **अनुबंध-II** में दर्शाया गया है। सरकार ने 5,48,55,773 प्रवासियों को 2,74,278.87 मीट्रिक टन अनाज और 16751 मिट्रिक टन चना राज्य/संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के तहत उपलब्ध कराया था। इसके अलावा, इसी एलजीएस योजना के अंतर्गत 2,01,364 करोड़ रुपए मूल्य की 91,90,006 गारंटी उपलब्ध कराई गई।

(ङ): सभी वित्तीय लेनदेन को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि उक्त पैकेज के तहत वित्तीय सहायता वास्तव में लाभार्थियों तक पहुंच सके।

*****

08.02.2021 पर जवाब के लिए आर अतारांकित प्रश्न सं. 1150 के भागों (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क. 13.05.2020 को की गई घोषणाएँ

1. रुपये 3 लाख करोड़ व्यवसायों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा, एमएसएमई सहित
2. रुपये 20,000 करोड़ तनाव एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण
3. रुपये 50,000 करोड़ फंड की एमएसएमई फंड के माध्यम से इक्विटी अर्क
4. एमएसएमई की नई परिभाषा और एमएसएमई के लिए अन्य उपाय
5. सरकार निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदाएं 200 करोड़ रू. तक
6. जून, जुलाई और अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए एक और 3 महीने के लिए व्यापार और संगठित श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि सहायता का विस्तार
7. ईपीएफ अंशदान नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए अगले 3 महीनों के लिए ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए 12% से 10% करने के लिए 3 महीने के लिए कम किया जा करने के लिए
8. एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रु. की विशेष तरलता योजना
9. एनबीएफसी/एमएफआई की देयताओं के लिए 45,000 करोड़ रु. की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0
10. रुपये 90,000 करोड़ णडस्कॉमों के लिए लिक्विडिटी इंजेक्शन
11. संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए छह महीने तक के विस्तार से दिए गए ठेकेदारों को राहत, जिसमें ईपीसी और रियायत समझौतों के संबंध में
12. रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्ण होने की तारीख को छह महीने तक बढ़ाया जाएगा।
13. व्यापार के लिए कर में राहत के रूप में लंबित आयकर कर को धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-कॉर्पोरेट व्यवसायों और व्यवसायों को तुरंत जारी किया जाना चाहिए
14. वित्त वर्ष 2015-21 की शेष अवधि के लिए 'टैक्स डिडक्शन एट सोर्स' और 'टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स' की दरों में 25% की कमी
15. विभिन्न कर से संबंधित अनुपालन के लिए देय तिथियां

ख. 14.05.2020 को की गई घोषणाएँ

16. 2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति।
17. मार्च, 2021-वन नेशन वन राशन कार्ड की भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकानों से पीडीएस (राशन) का उपयोग करने के लिए प्रवासियों को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी प्रणाली
18. प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों की योजना शुरू की जाएगी
19. 12 महीने के लिए 2% ब्याज सहायता शिशु मुद्र ऋण -। 1500 करोड़ रु रुपये की राहत
20. रुपये 5000 करोड़ स्ट्रीट विक्रेताओं के लिए ऋण सुविधा।
21. 70 , 000 करोड़ रू. पीएमएवाई तहत एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के विस्तार के माध्यम से आवास क्षेत्र और मध्यम आय वर्ग के लिए बढ़ावा (शहरी)
22. रुपये 6,000 करोड़ रोजगार बनाना सीएएमपीए निधियों का उपयोग के लिए
23. रुपये 30,000 करोड़ नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी
24. रुपये 2 लाख करोड़ रियायती ऋण 2.5 बढ़ावा करोड़ किसानों के तहत किसान क्रेडिट कार्ड योजना

ग. 15.05.2020 को घोषणाएँ

25. रुपये 1 लाख करोड़ किसानों के लिए कृषि गेट बुनियादी सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
26. रुपये 10,000 करोड़ माइक्रो खाद्य उद्यम औपचारिक के लिए योजना (यूके)
27. रुपये 20,000 करोड़ के माध्यम से मछुआरों के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)

28. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
29. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना - रु। 15,000 करोड़ रु
30. हर्बल संवर्धन को बढ़ावा : 4,000 करोड़ रुपये का परिव्यय
31. मधुमक्खी पालन की पहल - रुपये 500 करोड़
32. 'टॉप' से कुल के लिए - रुपये 500 करोड़
33. कृषि क्षेत्र के लिए शासन और प्रशासनिक सुधार के उपाय

i. किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन
ii. किसानों को विपणन विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार
iii. कृषि उत्पादन मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन

घ. 16.05.2020 को की गई घोषणाएँ

34. कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन शुरू किया गया
35. कोयला क्षेत्र में विविध अवसर
36. कोयला क्षेत्र में उदारवादी शासन
37. खनिज क्षेत्र में निजी निवेश और नीति सुधार को बढ़ाना
38. रक्षा उत्पादन में स्व रिलायंस को बढ़ाना
39. रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार
40. नागरिक उड्डयन के लिए कुशल एयरस्पेस प्रबंधन
41. पीपीपी के माध्यम से अधिक विश्व स्तरीय हवाई अड्डे
42. विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने वाला भारत
43. विद्युत क्षेत्र में टैरिफ नीति सुधार; संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण
44. सामाजिक क्षेत्र में सुधारित व्यवहार्यता गैप वित्त योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना
45. अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना
46. परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

ङ. 17.05.2020 को की गई घोषणाएँ

47. रुपये 40,000 करोड़ वृद्धि एमजीएनआरईजीएस रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदान करने के लिए आवंटन में
48. भविष्य के महामारियों के लिए भारत को तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश में वृद्धि
49. टेक्नोलॉजी पोटेंशियल एजुकेशन विद इक्विटी पोस्ट-सीओवीआईडी
50. आईबीसी से संबंधित उपायों के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और वृद्धि
51. कंपनी अधिनियम की चूक को कम करना
52. कॉर्पोरेट्स के लिए व्यापार करने में आसानी
53. एक नए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति
54. 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा को 3% से बढ़ाकर केवल 5% करना और राज्य स्तरीय सुधारों को बढ़ावा देना

च. 12 अक्टूबर, 2020 को की गई घोषणाएँ

55. एलटीसी कैश वाउचर योजना- 2018-21 के दौरान एक एलटीसी के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान, (छुट्टी नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान और एलटीसी किराया का कर-मुक्त भुगतान)
56. विशेष महोत्सव अग्रिम योजना- रु. की ब्याज मुक्त अग्रिम। 10,000, प्रीपेड रूपे कार्ड के रूप में, 31 मार्च, 2021 तक खर्च किया जाएगा।
57. राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय बूस्ट - एक ₹12,000 के लिए राज्यों को विशेष ब्याज मुक्त 50 साल के ऋण करोड़ पूंजीगत व्यय

- 8 उत्तर पूर्व राज्यों के लिए 200 करोड़
- ₹ 450 करोड़ प्रत्येक उत्तराखंड , हिमाचल

- शेष राज्यों के लिए of 7,500 करोड़ , वित्त आयोग के विचलन के अनुसार

58. सड़क, रक्षा, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू स्तर पर पूंजीगत उपकरणों पर पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त बजट के लिए पूंजीगत व्यय 25,000 करोड़ (बजट 2020 -21 में 4.13 लाख करोड़ के अलावा) प्रदान किया गया। ।

छ. 12 नवंबर 2020 को की गई घोषणाएं

59. आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना - कोविड-19 वसूली के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए। यदि ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान नए कर्मचारियों को ईपीएफओ नंबर के बिना लेते हैं या जो पहले नौकरी खो चुके हैं, तो योजना इन कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी।

60. एमएसएमई व्यवसायों, मुद्रा उधारकर्ताओं और व्यक्तियों (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण) के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, 31 मार्च, 2021 तक विस्तारित । कोविड-19 के कारण हेल्थकेयर क्षेत्र और 26 क्षेत्रों के लिए शुरू की गई क्रेडिट गारंटी सहायता योजना। संस्थाओं को बकाया ऋण का 20% तक अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा; पुनर्भुगतान पाँच वर्षों (1 वर्ष की अधिस्थगन + 4 वर्ष की अदायगी) में किया जा सकता है।

61. 10 चैंपियन क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन मूल्य 59 1.46 लाख करोड़ की पेशकश की।

62. 18,000 करोड़ अतिरिक्त अतिरिक्त पीएम आवास योजना के लिए - शहरी

63. निर्माण और अवसंरचना के लिए सहायता - सरकारी निविदाओं पर अर्जन जमा राशि और प्रदर्शन सुरक्षा में छूट

64. डेवलपर्स और गृह खरीदारों के लिए आयकर राहत

65. इंफ्रा डेट फाइनेंसिंग के लिए प्लेटफार्म

66. कृषि के लिए समर्थन: सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए: 65,000 करोड़

67. ग्रामीण रोजगार के लिए बूस्ट: पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया जा रहा है । निधि का उपयोग मनरेगा या ग्राम सड़क योजना के लिए किया जा सकता है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी।

68. प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के लिए बूस्ट भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस स्कीम) के तहत विकासशील देशों को भारत द्वारा दी गई सहायता के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बढ़ावा दिया जाना है। यह एक्जिम बैंक को इन लाइन ऑफ क्रेडिट विकास सहायता गतिविधियों को सुगम बनाने और भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

69. रक्षा उपकरण, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा पर पूंजी और औद्योगिक व्यय के लिए पूंजी और औद्योगिक प्रोत्साहन। 10,200 करोड़ अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

70. कोविड वैक्सीन के लिए आर एंड डी अनुदान; कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के लिए 900 करोड़ जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान किया जा रहा है। इसमें वैक्सीन वितरण के लिए वैक्सीन या लॉजिस्टिक्स की लागत शामिल नहीं है (इसके लिए जो भी आवश्यक हो प्रदान किया जाएगा)

****

अनुबंध-II

08.02.2021 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1150 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

क्र.सं.	योजना	ऋण/गारंटियां जारी
1.	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत शिशु ऋण के शीघ्र पुनर्भुगतान पर 2 प्रतिशत की ब्याज छूट को पात्र उधारकर्ताओं के लिए 12 महीने की अवधि के लिए 1500 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत पर बढ़ा दिया गया है।	775 करोड़ रुपए की राशि छोटे औद्योगिक विकास बैंक को जारी की गई, पात्र पीएमएमवाई उधारकर्ताओं के खातों में डालने के लिए सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) के लिए ब्याज छूट लाभ की पहली किस्त तुरंत दी गई। 29.01.2021 की तिथि तक सिडबी के द्वारा एमएसआई 303.07 करोड़ रुपए से ज्यादा उधारकर्ताओं के खातों में ऋण के छूट खातों में संवितरित किए गए।
2.	आपातकाल ऋण लाइन गारंटी योजना	राष्ट्रीय साख गारंटी ट्रस्टशिप कंपनी लिमिटेड के अनुसार 25.01.2021 तक विभिन्न सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा इसी एलजीएस के अंतर्गत स्वीकृत ऋण 2.39 लाख करोड़ रुपए है।
3.	आंशिक साख गारंटी योजना 2.0	सिडबी के अनुसार, एनबीएफसी/एचएफसी/एफएफआई को सार्वजनिक क्षेत्र बैंक द्वारा 23342 करोड़ रुपए की राशि बांड/सीपी की खरीद के लिए 31.12.2020 तक संवितरित किए जाएंगे। (बांड के पोर्टफोलियो की खरीद के लिए टाइमलाइन)
4.	एनपीएफसी एंड एचएफसी के लिए विशेष नकदी योजना	एसएलएस ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा विशेष प्रतिभूति गारंटी वाले ब्याज को जारी करने क लिए स्थापित किया गया है, जिसने स्कीम की वैधता तिथि अर्थात् 30.09.2020 तक 7125.51 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।
5.	नाबार्ड के माध्यम से किसानों को 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी निधियन	दिनांक 01.01.2021 की स्थिति के अनुसार इस विशेष सुविधा में से 25,000 करोड़ वितरित किए गए हैं। आरबीआई द्वारा लघु एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई के लिए एसएलएफ के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए की शेष राशि नाबार्ड को आबंटित किया गया था।
6.	भारग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण	अब तक 28.30 करोड़ रुपए की 257 गारंटियां जारी की गई हैं।
7.	भारग्रस्त वेंडरों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सुविधा	दिनांक 12 जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार 17.51 लाख ऋण स्वीकृत (33.87 लाख से भी अधिक ऋण आवेदन प्राप्ति में से) की गई और 12.84 लाख ऋण वितरित किए गए हैं।
8.	किसानों के लिए फार्म-गेट अवसंरचना हेतु 01 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि	दिनांक 09.08.2020 को 2,280 किसान समितियों को 1128 करोड़ रुपए की पहली स्वीकृति दी गई थी। दिनांक 15 जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार स्कीम के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 3055 पीएसी को 2991 करोड़ रुपए और पीएसी को छोड़कर 230 संस्थाओं के लिए 235 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गए है

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1490

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

न्यायिक पैनल

1490. श्री एम. बदरुद्दीन अज़मल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा गठित किए गए न्यायिक पैनलों का ब्यौरा क्या है और इन पैनलों का गठन किन मुद्दों पर किया गया ;

(ख) सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले न्यायिक पैनलों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाई की गई है ; और

(घ) शेष पैनलों द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करने की संभावना है?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2086

सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक)

कम वेतन वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा

2086. श्री जुगल किशोर शर्मा:
श्रीमती गीता कोडा:
श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कार्मिकों का वेतन यदि 21000 रूपये से कम है तो उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) का लाभ नहीं मिलता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) करखानों में काम करने वाले और कम वेतन प्राप्त करने वाले कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): किसी कारखाने या प्रतिष्ठान में कार्यरत वैसे कर्मचारी जो कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कवर होते हैं और जिनका मासिक वेतन 21000/- रुपये या उससे कम है, ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध सभी लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ख): उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग): कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 और उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत शामिल होने वाले पात्र कामगारों को चिकित्सा, अस्वस्थता, प्रसूति लाभ, भविष्य निधि, अधिवर्षिता / पारिवारिक पेंशन, बीमा, उपदान और प्रतिकर लाभ के रूप में सामाजिक सुरक्षा कवर उपलब्ध कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त, ईएसआई अधिनियम, 1948 के अंतर्गत मजदूरी के रूप में प्रतिदिन 176/- रुपये तक कमाने वाले कर्मचारियों को कर्मचारियों के अंशदान के भुगतान से छूट प्राप्त है।

*****

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2152

(जिसका उत्तर सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक), को दिया जाना है)

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थी

2152. श्री नारणभाई काछड़िया:

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(ख) उक्त योजना के लाभार्थियों विशेषकर गुजरात के लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): भारत सरकार ने कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए गरीब तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने हेतु दिनांक 26.03.2020 को 1.70 लाख करोड़ रुपए के 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' राहत पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं:

(क) कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए का व्यापक निजी दुर्घटना बीमा कवर।

(ख) लक्षित सार्वजनिक संवितरण प्रणाली के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को मुफ्त में 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्य अनाज तथा 1 किलोग्राम प्रति परिवार दालें प्रति माह का अतिरिक्त आवंटन।

(ग) 2020-21 में 2000 रुपए की पहली किस्त के बाद अप्रैल, 2020 में लगभग 8.7 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत फ्रंट लोडिंग और भुगतान।

(घ) 20.40 करोड़ (लगभग) पीएमजेडीवाई महिला खाताधारकों के लिए 3 महीने के लिए 500 रुपए प्रति माह की अतिरिक्त अनुग्रह राशि तथा लगभग तीन करोड़ वृद्ध विधवाओं और दिव्यांग श्रेणी के व्यक्तियों को 1000 रुपए जारी किए।

(ङ) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के 8 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर।

(च) रोजगार में व्यवधान को रोकने के लिए तीन माह हेतु 100 से कम कामगारो वाले व्यापार में 15000 रुपए प्रति माह से कम आय वाले श्रमिकों के पीएफ खातों में 24% मासिक वेतन प्रदान करना।

(छ) (i) 1.04.2020 से मनरेगा वेतन में 20 रुपए की वृद्धि (ii) 6.85 करोड़ परिवारों को सहायता देने वाले 63 लाख स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित महिलाओं के लिए 10 से 20 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त उधार की सीमा में बढ़ोतरी।

(ज) कर्मचारियों के भविष्य निधि नियमों में संशोधन, जिसमें 75% राशि या 3 महीने की मजदूरी जो भी उनके खातों से कम है, की गैर-वापसी योग्य अग्रिम की अनुमति देने के लिए महामारी को शामिल करना।

(झ) (i) लगभग 3.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों को समर्थन तथा सहायता देने के लिए भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण निधि और (ii) कोविड-19 के विस्तार से बचने के लिए सहायता तथा चिकित्सा जांच स्क्रीनिंग और अन्य आवश्यकताओं की सुविधाओं के परिवर्धन तथा साथ ही महामारी से प्रभावित होने वाले मरीजों के उपचार के लिए जिला खनिज निधि के उपयोग हेतु राज्य सरकारों को जारी किए गए निर्देश।

गुजरात सहित पी एम जी के पी के लाभार्थियों के राज्य वार विवरण की ओर संकेत करता हुआ ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर है।

****

अनुबंध।

दिनांक 8.03.2021 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2152 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संबंधित विवरण

	29.01.2021 तक	पीएमजीएवाई		पीएमजीएवाई दाल/चना		उज्जवाला		पीएम किसान	पीएमजेडीबाई	**24%** ईपीएफ		एनएसएपी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	बीओसीडब्लूयू (भवन तथा निर्माण निधि)		डीएमएफ
संख्या	राज्य	खाद्य अनाज मात्रा (अप्रैल-नवंबर) एमटी	लाभार्थी	दाल/चना मात्रा (अप्रैल-नवंबर) (एमटी)	लाभार्थी	अग्रिम या प्रतिपूर्ति के पक्ष में पहुंचाया गया	हस्तांतरित राशि (लाखों में)	लाभार्थियों की सं.	क्रेडिट खातों की सं.	लाभार्थियों की सं.	राशि (लाख में)	लाभार्थियों की सं.	लाभार्थियों की सं.	कुल राशि (लाख रु.)	राशि (करोड रु.)
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,383	59,100	122	16,350	22,354	157	10,677	23,064	3,238.00	155.91	5,928	11,014	492	
2	आंध्र प्रदेश	995,500	26,112,304	66,492	9,028,190	762,024	5,163	4,695,820	6,013,565	185,152.00	11,651.14	932,661	1,967,484	19,675	131.48
3	अरुणाचल प्रदेश	30,642	798,490	1,034	177,210	76,658	518	66,323	180,119		0.00	34,139	3,000	60	
4	असाम	977,964	24,873,000	45,456	5,786,440	5,270,571	36,257	1,861,715	9,534,385	9,772.00	252.73	840,984	270,000	2,700	0.65
5	बिहार	3,147,508	81,139,356	120,112	14,333,767	15,347,936	111,171	5,899,824	23,315,732	67,545.00	4,287.92	3,664,811	0	0	0.00
6	चंडीगढ़	10,167	259,080	486	63,670	246	2	429	110,537	23,805.00	2,034.29	3,415	6,670	400	
7	छत्तीसगढ़	789,804	19,431,064	39,632	5,149,800	3,971,169	32,416	2,167,441	7,857,012	84,417.00	6,404.33	852,275	0	0	4.36
									52,817			9,588	0	0	
8	दादरा और नगर हवेजी तथा दमन और दीव	10,568	258,328	519	65,240	25,360	169	13,531	17,387		0.00	1,376	0	0	
9	दिल्ली	272,775	6284047	13,690	1,754,513	195,912	1,263	12,075	2,030,271	41,521.00	3,642.58	156,436	39,600	3,960	
10	गोवा	20,585	514,412	1,066	142,550	2,108	14	7,854	69,987	16,563.00	1,265.92	2,061	5,117	307	
11	गुजरात	1,276,713	31784856	50,026	6,509,333	4,909,689	32,592	4,685,062	7,108,005	270,988.00	18,510.49	688,953	483,196	4,832	22.00
12	हरियाणा	450,912	11,190,324	18,812	2,427,333	1,515,279	9,902	1,514,497	3,416,299	83,035.00	6,403.61	327,269	350,621	17,531	15.85
13	हिमाचल प्रदेश	106,429	2,772,352	4,790	673,667	292,574	1,965	870,609	584,184	48,762.00	3,629.35	111,863	121,281	7,461	0.00
14	जम्मू और कश्मीर	282,312	6,915,000	13,208	1,644,090	2,009,414	14,574	920,451	1,049,256	43,121.00	2,055.78	143289 (लद्दाख सहित)	155,975	4,679	0.43
15	झारखंड	8,83,433	24,094,622	44,593	5,711,600	5,360,642	37,520	12,31,912	7227042	105,631.00	7,666.54	1,288,850	0	0	9.66
16	कर्नाटक	1,541,056	38,645,940	80,975	12,722,730	5,707,480	37,831	4,839,093	7,987,088	319,389.00	24,924.83	1,398,410	1,362,438	68,122	118.09
17	केरल	587,791	14,927,032	27,956	3,591,483	511,114	3,323	2,716,844	2,413,289	121,319.00	9,250.22	688,329	454,124	4,541	0.00
18	लद्दाख	5,645	141,480	233	29,008	19,172	166	0	9,951	247.00	21.08	ऊपर जम्मू और कश्मीर सहित	ऊपर जम्मू और कश्मीर सहित	0.00	
19	लक्षद्वीप	864	21,800	39	5,200	517	3	0	2,867		0.00	324	520	33	
20	मध्य प्रदेश	1,800,437	49,309,348	77,890	9,695,633	11,335,496	77,378	6,812,020	16,622,091	169,059.00	10,711.54	2,205,963	891,850	17,837	5.10
21	महाराष्ट्रा	2,527,129	68,250,268	103,643	13,215,103	7,620,813	50,513	8,632,718	12,947,062	476,836.00	31,528.87	1,168,385	894,408	17,888	59.50
22	मणिपुर	90,747	2,047,906	4,192	587,503	276,213	2,120	283,457	504,169		0.00	61,972	52,605	526	
23	मेघालय	85,803	2,145,145	3,145	421,503	196,213	1,408	115,638	268,908	73,342.00	2,224.82	54,127	24,730	1,237	

24	मिजोरण	25,288	662,132	1,243	155,405	55,270	420	69,425	58,176		0.00	27,538	51,451	1,544	
25	नागालैंड	53,964	1,404,600	2,276	284,940	89,967	593	181,008	157,792		0.00	49,210	19,046	381	
26	ओडिशा	1,206,580	28,837,690	74,941	9,519,513	8,365,761	57,172	2,003,185	8,121,020	162,121.00	10,148.60	2,027,022	2,083,288	31,249	99.49
27	पुदुचेरी	23,211	597,945	1,273	178,500	31,098	203	9,715	83,926	16,456.00	1,011.52	28,757	0	0	
28	पंजाब	533,154	13,365,720	27,751	3,547,747	2,453,238	16,351	1,752,498	3,322,186	79,150.00	5,054.89	140,404	289,237	17,354	0.65
29	राजस्थान	1,752,646	44,444,332	75,043	9,994,240	11,123,374	73,858	5,164,391	15,613,962	123,266.00	7,946.42	987,781	2,230,000	55,750	15.93
30	सिक्किम	14,479	365,120	614	93,817	21,301	165	0	42,552		0.00	18,332	7,836	157	
31	तमिल नाडु	1,231,653	29,745,840	33,324	11,107,920	6,185,688	41,390	3,559,533	6,075,989	581,768.00	34,570.97	1,814,700	1,370,601	27,412	14.73
32	तेलंगाना	724,662	18,062,980	15,804	5,268,030	1,874,171	13,036	3,331,468	5,260,800	178,225.00	10,233.62	665,956	830,324	12,455	0.00
33	त्रिपुरा	94,893	2,373,722	4,420	540,847	446,819	3,747	190,441	431,770		0.00	138,473	39,082	1,172	
34	उत्तर प्रदेश	5,616,735	141,999,424	269,530	33,408,790	27,074,796	181,728	17,675,849	31,813,530	230,453.00	15,741.60	5,257,390	1,825,415	35,395	0.46
35	उत्तराखंड	237,842	5,895,600	10,736	1,344,657	762,313	5,015	674,688	1,267,372	41,863.00	3,234.58	215,109	228,423	4,568	3.49
36	पश्चिम बंगाल	2,339,724	58,310,164	91,452	14,019,333	17,288,933	116,938	0	18,995,377	428,442.00	21,132.39	2,132,959	2,198,349	21,983	0.46
	कुल	**29,751,729**	**758,040,523**	**1,326,516**	**183,215,657**	**141,201,683**	**967,041**	**89,454,616**	**206,500,000**	**3,985,486.00**	**255,696.54**	**28,145,039**	**18,267,685**	**381,702**	**502.33**

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2189

सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942(शक)

कर्मचारी मुआवजा पैकेज

2189. डॉ. टी. आर. पारिवेन्धर

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने चार श्रम संहिताओं अथवा कानूनों के अंतर्गत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है तथा इन्हें शीघ्र ही अधिसूचित कर दिए जाने की संभावना है जिससे कंपनियां कर्मचारी मुआवजा पैकेज अथवा "कंपनी के लागत" (सीटीसी) के पुनर्गठन हेतु प्रोत्साहित होंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित सीटीसी की विशेषताएं क्या हैं तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) नई श्रम संहिता के कब तक लागू हो जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): चार संहिताओं के क्रियान्वयन के लिए उठाए गए एक कदम के रूप में सरकारी राजपत्र में उनकी अधिसूचना और पूर्व प्रकाशन की अपेक्षा की शर्तों के अनुरूप सभी पणधारकों से सुझाव मांगने के लिए चार प्रारुप नियमों नामत: मजदूरी संहिता (केन्द्रीय) नियम, 2020; औद्योगिक संबंध (केन्द्रीय), नियम, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता (केन्द्रीय), नियम, 2020; और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं (केन्द्रीय), नियम, 2020 को क्रमश: 7 जुलाई, 2020, 29 अक्तूबर, 2020, 13 नवम्बर, 2020 और 19 नवम्बर, 2020 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

तथापि, मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 42 और 67 के अंतर्गत यथा-विनिर्दिष्ट केन्द्रीय परामर्शी बोर्ड से संबंधित उपबंध 18 दिसम्बर, 2020 से प्रभावी हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, मजदूरी संहिता (केन्द्रीय परामर्शी बोर्ड) नियम, 2021 पहली मार्च, 2021 से प्रभावी हो गई है।

शब्द "कंपनी की लागत" (सीटीसी) को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है और प्रतिष्ठान के सीटीसी निर्धारण में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

****

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2278

उत्तर देने की तारीख 08.03.2021

जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत वित्तीय व्यय योजना

2278. श्री कृष्ण पाल सिंह यादव:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदिवासी उप-योजना के लिए वित्तीय व्यय की राज्य/क्षेत्र-वार कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) एवं (ख) : जनजातीय उप-योजना जिसे अब अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) कहा जाता है, जनजातीय विकास के लिए निधि का एक समर्पित स्रोत है। एसटीसी एक बहुआयामी कार्यनीति है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, आजीविका इत्यादि के लिए सहायता शामिल है। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अवसंरचना विकास का अधिकांश भाग और देश में जनजातीय लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान संबंधित मंत्रालयों / विभागों और संबंधित राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों / कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है| जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) अंतरों को पाटते हुए इन पहलों के लिए परिवर्धक प्रदान करता है। एसटीसी के तहत नीति आयोग केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा निधियों को निर्धारित करने के लिए समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करता है। इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय, 40 केंद्रीय मंत्रालय / विभाग जनजातीय विकास के लिए प्रत्येक वर्ष उन्हें स्कीम के तहत कुल आबंटन का 4.3 से 17.5 प्रतिशत की रेंज में एसटीसी निधियां निर्धारित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। अ.ज.जा. के कल्याण के लिए स्कीमों के तहत व्यय के लिए विशेष स्कीमों और योजनाओं के तहत, केंद्रीय मंत्रालय / विभाग एसटीसी निधियां निर्धारित करते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय, एसटीसी-एमआईएस पोर्टल http://stcmis.gov.in के माध्यम से एसटीसी निधियों के आबंटन, व्यय इत्यादि की निगरानी और मंत्रालय / विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकें करता है। वर्ष 2019-20 से 2020-21 के दौरान उनको स्कीमों के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा व्यय की गई निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक- I** पर दिया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, की 'जनजातीय उप-स्कीम को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)' 'संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान', 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास' इत्यादि जैसी अधिकांश स्कीमों के लिए, मंत्रालय की परियोजना मूल्यांकन समिति से प्राप्त और स्वीकृत किए गए प्रस्तावों के आधार पर राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत 'स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान स्कीम' के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया / दिशानिर्देशों के अनुसरण में, संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की बहु-विषयक राज्य स्तरीय समिति द्वारा विधिवत रूप से अनुशंसित परियोजनाओं की श्रेणियों के लिए पात्र गैर सरकारी संगठनों / स्वायत समितियों को अनुदान प्रदान किया जाता है।

जीएफआर के मानदंडों के अनुसार, और आगे भविष्य में निधियां जारी करने के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र और प्रगति रिपोर्टों की पूर्व-आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। प्रस्तावों समय पर प्रस्तुत करने, स्कीम / कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने और वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ केन्द्रीय स्तर पर बैठकें / सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों से भी कुल राज्य योजना के संबंध में राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी (जनगणना, 2011) के अनुपात में अनुसूचित जनजाति घटक निधियां निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है। वर्ष 2019-20 से 2020-21 के दौरान अ.ज.जा. के कल्याण और विकास के लिए राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र द्वारा एसटीसी के अंतर्गत उनकी स्कीमों के तहत आबंटित और व्यय की गई निधियों के ब्यौरे अनुलग्नक II पर दिए गए हैं।

अनुलग्नक – 1

'जनजातीय उप-स्कीम के अंतर्गत वित्तीय व्यय के लिए आयोजना' के संबंध में डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव द्वारा दिनांक 08.03.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2278 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान मंत्रालय / विभाग-वार आवंटन और व्यय

क्र.सं.	मंत्रालय / विभाग	नीति आयोग द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट प्रतिशत	वित्त वर्ष 2019-20 (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020)		
			बजट अनुमान बीई (एसटीसी)	संशोधित अनुमान आरई (एसटीसी)	एसटीसी व्यय *
			(करोड़ रूपए में)		
1	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	4.30	114.81	105.91	38.27
2	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	8.60	11168.01	8717.57	8392.05
3	पशुपालन और डेयरी विभाग	8.60	235.73	221.80	194.41
4	वाणिज्य विभाग	4.30	25.01	29.01	25.34
5	उपभोक्ता कार्य विभाग	4.30	2.66	1.72	1.00
6	दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण विभाग	8.60	88.22	78.92	210.15
7	मत्स्य विभाग	8.60	53.83	49.44	42.65
8	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	4.30	2.00	0.50	--
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	8.60	4042.09	4042.09	3762.16
10	उच्च शिक्षा विभाग	8.60	1605.00	1605.00	1418.59
11	भूमि संसाधन विभाग	10.00	221.60	178.30	161.54
12	ग्रामीण विकास विभाग	17.50	5984.12	5882.27	5926.84
13	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	10.70	5831.51	5831.61	5657.69
14	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	4.30	115.78	111.84	100.55
15	दूरसंचार विभाग	4.30	800.57	140.75	62.39
16	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग	8.60	272.20	237.81	228.48
17	पेयजल और स्वच्छता विभाग	10.00	1999.47	1833.89	1802.70
18	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	4.30	35.00	26.00	26.00
19	कोयला मंत्रालय	8.60	94.35	95.16	98.75
20	संस्कृति मंत्रालय	4.30	35.10	22.51	22.05
21	पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय	8.60	810.50	750.87	754.41
22	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6.70	251.32	215.24	175.51
23	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	8.60	102.50	95.35	90.94
24	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4.30	47.34	38.25	0.35
25	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	4.30	324.71	324.71	325.66

क्र.सं.	मंत्रालय / विभाग	नीति आयोग द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट प्रतिशत	वित्त वर्ष 2019-20 (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020)		
			बजट अनुमान बीई (एसटीसी)	संशोधित अनुमान आरई (एसटीसी)	एसटीसी व्यय *
			(करोड़ रूपए में)		
26	श्रम और रोजगार मंत्रालय	8.60	929.06	929.06	533.98
27	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	8.60	560.39	618.96	773.53
28	खान मंत्रालय	4.30	25.55	25.55	25.57
29	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	8.60	441.00	322.00	279.92
30	पंचायती राज मंत्रालय	8.60	62.82	61.15	61.15
31	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	4.30	1570.21	1619.80	323.61
32	बिजली मंत्रालय	8.60	803.79	803.78	706.12
33	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	4.30	2610.00	2610.00	226.13
34	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	8.60	214.59	172.71	21.25
35	कपड़ा मंत्रालय	8.60	216.99	184.99	158.15
36	पर्यटन मंत्रालय	4.30	90.00	55.00	55.00
37	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00	6847.89	7293.66	7291.50
38	महिला और बाल विकास मंत्रालय	8.60	2486.64	2232.83	1787.29
39	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	8.60	161.17	182.82	181.75
40	उर्वरक विभाग #	4.30	--	--	--
41	फार्मास्यूटिकल्स विभाग #	4.30	--	--	--

नोट - # मंत्रालयों / विभाग जिन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए एसटीसी एमआईएस पोर्टल के अनुसार आंकड़े अलग आवंटन नहीं किया है|

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मंत्रालय / विभाग-वार आवंटन और व्यय

क्र.सं.	मंत्रालय / विभाग	नीति आयोग द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट प्रतिशत	वित्त वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल 2020 से 28 फरवरी 2021)		
			बजट अनुमान बीई (एसटीसी)	संशोधित अनुमान आरई (एसटीसी)	एसटीसी व्यय *
			(करोड़ रूपए में)		
1	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	4.30	118.65	106.69	92.26
2	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	8.60	11507.65	9993.11	7968.49
3	पशुपालन और डेयरी विभाग	8.60	270.89	240.76	197.80
4	वाणिज्य विभाग	4.30	25.00	15.45	15.45
5	उपभोक्ता कार्य विभाग	4.30	2.58	1.83	1.28
6	दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण विभाग	8.60	68.56	47.57	176.60
7	मत्स्य विभाग	8.60	53.00	63.00	32.96
8	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	4.30	--	5421.31	--

9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	8.60	4300.00	3997.14	3341.42
10	उच्च शिक्षा विभाग	8.60	1640.00	1304.78	1162.57
11	भूमि संसाधन विभाग	10.00	223.87	123.87	129.95
12	ग्रामीण विकास विभाग	17.50	5026.00	5823.02	4670.34
13	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	10.70	5844.00	5709.45	4234.69
14	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	4.30	137.69	97.00	57.45
15	दूरसंचार विभाग	4.30	357.89	322.75	304.54
16	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग	8.60	279.63	186.41	114.50
17	पेयजल और स्वच्छता विभाग	10.00	2149.41	1700.00	1484.05
18	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	4.30	37.70	31.70	24.98
19	कोयला मंत्रालय	8.60	70.52	73.67	72.79
20	संस्कृति मंत्रालय	4.30	24.86	16.89	5.88
21	पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय	8.60	822.92	563.61	561.66
22	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6.70	265.19	204.00	78.94
23	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	8.60	127.00	99.00	92.57
24	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4.30	46.50	49.45	4.22
25	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	4.30	164.03	369.43	153.53
26	श्रम और रोजगार मंत्रालय	8.60	977.95	1126.13	731.86
27	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	8.60	634.13	382.34	458.85
28	खान मंत्रालय	4.30	23.23	23.23	22.14
29	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	8.60	486.00	288.00	145.72
30	पंचायती राज मंत्रालय	8.60	74.62	42.02	55.43
31	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	4.30	1840.50	1652.27	--
32	बिजली मंत्रालय	8.60	857.00	516.00	342.62
33	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	4.30	2920.00	3430.00	178.96
34	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	8.60	209.65	189.55	22.20
35	कपड़ा मंत्रालय	8.60	222.55	126.25	116.69
36	पर्यटन मंत्रालय	4.30	102.00	49.00	43.59
37	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00	7355.76	5472.50	4941.07
38	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.60	2555.95	1785.23	755.52
39	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	8.60	201.35	117.92	107.10
40	उर्वरक विभाग #	4.30	--	--	--
41	फार्मास्यूटिकल्स विभाग #	4.30	--	18.49	12.86

नोट: - * अनंतिम आंकड़े

मंत्रालयों / विभाग जिन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए एसटीसी एमआईएस पोर्टल के अनुसार आंकड़े अलग आवंटन नहीं किया है|

अनुलग्नक - II

'जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत वित्तीय व्यय योजना' के संबंध में डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव द्वारा दिनांक 08.03.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2278 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार आवंटन और व्यय

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या % (2011)	वित्त वर्ष 2019-20				
			कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी	% टीएसपी	टीएसपी वयय	वयय %
1	आंध्र प्रदेश	5.3	92696.81	4988.53	5.38	3281.46	65.78
2	अंडमान और निकोबार	0.0	5029.16	130.03	2.59	127.65	98.17
3	अरुणाचल प्रदेश	68.8	86.02	86.02	100.00	49.45	57.49
4	असम	12.4	25186.00	2056.32	8.16	1965.05	95.56
5	बिहार	1.3	102977.40	1194.28	1.16	1126.97	94.36
6	छत्तीसगढ	30.6	76546.17	22012.66	28.76	16422.09	74.60
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.2	12.41	12.41	100.00	12.41	100.00
8	गोवा	10.2	19548.69	404.42	2.07	227.86	56.34
9	गुजरात	14.8	106308.00	14567.00	13.70	12809.00	87.93
10	हिमाचल प्रदेश	5.7	7100.00	639.00	9.00	639.00	100.00
11	झारखंड	26.2	49142.62	20886.15	42.50	16312.27	78.10
12	कर्नाटक	7.0	234153.00	8842.38	3.78	एनआर	एनए
13	केरल	1.5	30610.00	866.26	2.83	504.36	58.22
14	लक्षद्वीप	94.8	5.47	5.47	100.00	5.47	100.00
15	मध्य प्रदेश	21.1	139774.64	33466.66	23.94	26980.30	80.62
16	महाराष्ट्र	9.4	99000.00	8531.00	8.62	6833.55	80.10
17	मेघालय	86.1	16199.00	16199.00	100.00	15785.74	97.45
18	ओडिशा	22.8	46380.13	7374.29	15.90	6022.73	81.67
19	राजस्थान	13.5	111080.15	14981.24	13.49	13819.01	92.24
20	सिक्किम	33.8	637.34	2.63	0.41	1.51	57.41
21	तमिलनाडु	1.1	56849.96	1277.84	2.25	1015.84	79.50
22	तेलंगाना	9.3	75263.24	7184.87	9.55	6357.84	88.49
23	त्रिपुरा	31.8	6205.25	2772.42	44.68	1794.55	64.73
24	उतार प्रदेश	0.6	526809.21	1027.01	0.19	823.37	80.17
25	उत्तराखंड	2.9	51145.29	516.54	1.01	302.93	58.65
26	पश्चिम बंगाल	5.8	89328.56	6287.53	7.04	एनआर	एनए
कुल		8.6	1968074.52	176311.96	8.96	133220.42	75.56

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार आवंटन और व्यय (02.03.2021 तक)

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या % (2011)	वित्त वर्ष 2020-21				
			कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी	% टीएसपी	टीएसपी व्यय	व्यय %
1	आंध्र प्रदेश	5.3	104334.90	5177.54	4.96	3847.63	74.31
2	अंडमान और निकोबार	0.0	5234.26	260.09	4.97	99.02	38.07
3	अरुणाचल प्रदेश	68.8	76.73	76.73	100.00	76.73	100.00
4	असम	12.4	28230.00	1609.64	5.70	एनआर	एनए
5	बिहार	1.3	105262.34	1049.18	1.00	18.57	1.77
6	छत्तीसगढ	30.6	95438.85	20919.60	21.92	4627.71	22.12
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.2	17.45	17.45	100.00	0.71	4.05
8	गोवा	10.2	21056.35	413.95	1.97	22.78	5.50
9	गुजरात	14.8	110529.00	14106.00	12.76	3375.00	23.93
10	हिमाचल प्रदेश	5.7	7900.00	711.00	9.00	एनआर	एनए
11	झारखंड	26.2	48924.94	20201.43	41.29	1119.87	5.54
12	कर्नाटक	7.0	एनआर	एनआर	एनए	एनआर	एनए
13	केरल	1.5	27610.00	781.36	2.83	178.22	22.81
14	लक्षद्वीप	94.8	6.93	6.93	100.00	6.93	100.00
15	मध्य प्रदेश	21.1	99029.67	24261.29	24.50	7467.44	30.78
16	महाराष्ट्र	9.4	108000.00	8853.00	8.20	2144.91	24.23
17	मेघालय	86.1	17375.00	17375.00	100.00	16912.64	97.34
18	ओडिशा	22.8	46638.10	6808.23	14.60	2156.55	31.68
19	राजस्थान	13.5	110200.82	16017.65	14.53	8355.99	52.17
20	सिक्किम	33.8	818.43	1.00	0.12	0.00	0.00
21	तमिलनाडु	1.1	64255.96	1299.47	2.02	266.17	20.48
22	तेलंगाना	9.3	104612.62	9771.28	9.34	3583.12	36.67
23	त्रिपुरा	31.8	6529.34	2573.98	39.42	777.22	30.20
24	उतार प्रदेश	0.6	512860.72	1195.97	0.23	507.67	42.45
25	उत्तराखंड	2.9	53526.97	498.64	0.93	36.34	7.29
26	पश्चिम बंगाल	5.8	एनआर	एनआर	एनए	एनआर	एनए
कुल		8.6	1678469.38	153986.41	9.17	55581.21	36.09

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2297

सोमवार, 8 मार्च, 2021 / 17 फाल्गुन, 1942 (शक)

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

2297. श्री विजय बघेल:
श्री सुनील कुमार सोनी:
श्री अरूण साव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या से संबंधित क्षेत्र-वार आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा करवाए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार वर्ष 2017-18 में देश में, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र दोनों में कुल रोजगार लगभग 47 करोड़ था। इनमें से 9 करोड़ व्यक्ति संगठित क्षेत्र में और शेष 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं।

सरकार, असंगठित क्षेत्र कामगारों को (i) जीवन एवं अशक्तता कवर (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा (iii) वृद्धावस्था संरक्षण और (iv) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाने

जारी---/2

वाली अन्य किस्ती प्रसुविधा से संबंधी मामलों के लिए उचित कल्याणकारी योजनाएं बनाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिदेशित है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से 342/- रुपये (पीएमजेजेबीवाई के लिए 330/- रुपये और पीएमएसबीवाई 12/- रुपये) प्रति वर्ष की प्रीमियम का भुगतान करने पर जीवन एवं अशक्तता कवर प्रदान किया जाता है। इन स्कीमों के अंतर्गत दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 4.0 लाख रुपये, अन्य किसी कारण से मृत्यु होने पर 2.0 लाख रुपये का हितलाभ प्रदान किया जाता है। स्थायी अशक्तता की स्थिति में 2.0 लाख रुपये तथा आंशिक अशक्तता की स्थिति में 1.0 लाख रुपये का हितलाभ प्रदान किया जाता है।

स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधाएं आयुष्मान भारत स्कीम के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जो कि एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य स्कीम है।

भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) नामक एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम के रुप में एक महत्वपूर्ण स्कीम को मार्च,2019 में आरंभ किया है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के वैसे कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या इससे कम है तथा जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस के सदस्य नहीं हैं, इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान का भुगतान किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000/- रुपये का न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान किया जाता है। इस स्कीम में नामांकन सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से किया जाता है जिसका नेटवर्क देश भर में 3.50 लाख केन्द्रों में मौजूद है। इसके अतिरिक्त, पात्र व्यक्ति इसके पोर्टल पर जाकर स्वयं भी नामांकित हो सकते हैं।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2297

सोमवार, 8 मार्च, 2021 / 17 फाल्गुन, 1942 (शक)

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

2297. श्री विजय बघेल:
श्री सुनील कुमार सोनी:
श्री अरूण साव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या से संबंधित क्षेत्र-वार आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा करवाए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार वर्ष 2017-18 में देश में, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र दोनों में कुल रोजगार लगभग 47 करोड़ था। इनमें से 9 करोड़ व्यक्ति संगठित क्षेत्र में और शेष 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं।

सरकार, असंगठित क्षेत्र कामगारों को (i) जीवन एवं अशक्तता कवर (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा (iii) वृद्धावस्था संरक्षण और (iv) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाने

जारी---/2

वाली अन्य किस्ती प्रसुविधा से संबंधी मामलों के लिए उचित कल्याणकारी योजनाएं बनाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिदेशित है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से 342/- रुपये (पीएमजेजेबीवाई के लिए 330/- रुपये और पीएमएसबीवाई 12/- रुपये) प्रति वर्ष की प्रीमियम का भुगतान करने पर जीवन एवं अशक्तता कवर प्रदान किया जाता है। इन स्कीमों के अंतर्गत दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 4.0 लाख रुपये, अन्य किसी कारण से मृत्यु होने पर 2.0 लाख रुपये का हितलाभ प्रदान किया जाता है। स्थायी अशक्तता की स्थिति में 2.0 लाख रुपये तथा आंशिक अशक्तता की स्थिति में 1.0 लाख रुपये का हितलाभ प्रदान किया जाता है।

स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधाएं आयुष्मान भारत स्कीम के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जो कि एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य स्कीम है।

भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) नामक एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम के रुप में एक महत्वपूर्ण स्कीम को मार्च,2019 में आरंभ किया है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के वैसे कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या इससे कम है तथा जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस के सदस्य नहीं हैं, इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान का भुगतान किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000/- रुपये का न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान किया जाता है। इस स्कीम में नामांकन सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से किया जाता है जिसका नेटवर्क देश भर में 3.50 लाख केन्द्रों में मौजूद है। इसके अतिरिक्त, पात्र व्यक्ति इसके पोर्टल पर जाकर स्वयं भी नामांकित हो सकते हैं।

****

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2300
(जिसका उत्तर सोमवार, 08 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है।)

भविष्य निधियां

2300. कुंवर दानिश अलीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि अभिदाताओं के समुचित दस्तावेजों की कमी के कारण भविष्य निधियों की एक बड़ी धनराशि लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके लिए किस प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और भविष्य निधियां प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): जहां तक लोक भविष्य निधि योजना और सामान्य भविष्य निधि का संबंध है, अब तक की स्थिति के अनुसार, ग्राहक द्वारा उचित दस्तावेजों के अभाव के कारण कोई राशि लंबित नहीं है।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2725

(दिनांक 10.03.2021 को उत्तर के लिए)

रिक्त पद

2725. श्री गणेश सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार के तहत 8.9.1993 से 31.01.2021 तक विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सरकारी उपक्रमों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, एम्स, केन्द्रीय कृषि संस्थानों और केन्द्रीय चिकित्सा संस्थानों के आरक्षित/अनारक्षित रिक्ति-वार जाति-वार और पद-वार ब्यौरा क्या है और स्वीकृत पदों, भरे गए रिक्त पदों, रिक्त पदों, कमी और बैकलॉग का वर्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करने के लिए कोई समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी और केन्द्रीय स्तर पर ओबीसी की कमी और बैकलॉग पदों के कारणों का पता लगाने और निर्धारित समय-सीमा में भर्ती सुनिश्चित करने के लिए विकसित निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर बैकलॉग पदों को नहीं भरते हैं और यदि नहीं, तो वह नियम जिसके तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है; और

(घ) आरक्षित श्रेणी के बैकलॉग पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) दिनांक 31.12.2016 से प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी तक की स्थिति के अनुसार, 10 मंत्रालयों/विभागों, जिनमें केन्द्र सरकार के 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी हैं, में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने में हुई प्रगति की निगरानी करता है। ये मंत्रालय/विभाग इन आंकड़ों को अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि से एकत्र करते हैं और तत्पश्चात समेकित आंकड़े कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तुत करते हैं। दिनांक 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019 और 01.01.2020 तक की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय/विभाग-वार और श्रेणी-वार बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों के ब्यौरे अनुलग्नक-। पर दिए गए हैं। संस्थान विशेष से संबंधित जाति-वार और पद-वार आंकड़ों का केन्द्रीय रूप से रख-रखाव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग दिनांक 01.01.2012 से केन्द्र सरकार के पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व/नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति) के संबंध में ऑनलाइन आंकड़े भी एकत्र करता है। मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित दिनांक 01.01.2012 से 01.01.2020 तक के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति) के संबंध में यथा-उपलब्ध कराए गए ब्यौरे अनुलग्क-।। पर दिए गए हैं।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों(अ.ज.जा.) एवं अन्य पिछड़े वर्गों(अ.पि.व.) की आरक्षित रिक्तियों के भरे न जाने/अल्प नियोजनीयता के कारणों का गहन विश्लेषण करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की थी।

समिति की सिफारिशों के मद्देनजर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारण का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों को उत्पन्न करने वाले कारकों को दूर करने के लिए उपाय आरंभ करने और उन्हें विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से भरने के लिए आंतरिक (इन-हाउस) समिति गठित करने हेतु अनुदेश जारी किए थे।

(ग) : केन्द्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को कम से कम उप सचिव स्तर के किसी अधिकारी को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को स्वीकार्य आरक्षण से संबंधित आदेशों और अनुदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित करना आवश्यक है। इसके अलावा, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को सम्पर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना करना अपेक्षित है, जो कि कर्तव्य निर्वहन में उनका सहयोग करेगा।

(घ) : बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों के साथ रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है।

अनुलग्नक-I

श्री गणेश सिंह द्वारा रिक्त पद के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2725 के जवाब में दिनांक 10.03.2021 को उत्तर दिए जाने हेतु संदर्भित विवरण।

बैकलॉग रिक्तियों (31.12.2016 तक की स्थिति के अनुसार), भरी गईं रिक्तियों (31.12.2016 तक की स्थिति के अनुसार) और भरी नहीं गई रिक्तियों (01.01.2017 तक की स्थिति के अनुसार) का श्रेणीवार विवरण

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अ.जा.			अ.ज.जा.			अ.पि.व.		
		रिक्तियां	भरी गईं रिक्तियां	भरी नहीं गई रिक्तियां	रिक्तियां	भरी गईं रिक्तियां	भरी नहीं गई रिक्तियां	रिक्तियां	भरी गईं रिक्तियां	भरी नहीं गई रिक्तियां
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	डाक	673	372	301	717	257	460	718	234	484
2	रक्षा उत्पादन	1014	1013	1	1597	1579	18	164	149	15
3	वित्तीय सेवाएं	9528	8598	930	6456	5391	1065	14455	13030	1425
4	परमाणु ऊर्जा	292	195	97	398	191	207	1444	802	642
5	रक्षा	703	304	399	893	527	366	2707	1439	1268
6	रेलवे	2194	2049	145	4266	3942	324	2204	2194	10
7	राजस्व	3631	1220	2411	2226	585	1641	5064	2076	2988
8	शहरी विकास	226	75	151	257	82	175	692	95	597
9	मानव संसाधन विकास	926	336	590	614	145	469	1557	571	986
10	गृह मंत्रालय	10011	6813	3198	5405	3175	2230	11557	6437	5120
	कुल	**29198**	**20975**	**8223**	**22829**	**15874**	**6955**	**40562**	**27027**	**13535**

<u>श्री गणेश सिंह द्वारा रिक्त पद के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2725 के जवाब में दिनांक 10.03.2021 को उत्तर दिए जाने हेतु संदर्भित विवरण।</u>

दिनांक 31.12.2017 (दिनांक 01.01.2018) तक की स्थिति के अनुसार बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों के संबंध में आंकड़े

बैकलॉग रिक्तियों, भरी गईं रिक्तियों और भरी नहीं गईं रिक्तियों के श्रेणीवार ब्यौरे

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अ.जा.			अ.ज.जा.			अ.पि.व.		
		रिक्तियां	भरी गईं रिक्तियां	भरी नहीं गई रिक्तियां	रिक्तियां	भरी गईं रिक्तियां	भरी नहीं गई रिक्तियां	रिक्तियां	भरी गईं रिक्तियां	भरी नहीं गई रिक्तियां
1	डाक	353	129	224	218	37	181	305	109	196
2	रक्षा उत्पादन	4889	3560	1329	4086	2428	1658	2812	2408	404
3	वित्तीय सेवाएं	1790	559	1231	1923	815	1108	1987	707	1280
4	परमाणु ऊर्जा	292	209	83	398	239	159	1444	933	511
5	रक्षा	2579	1105	1474	1752	758	994	5287	1859	3428
6	रेलवे	145	145	0	324	324	0	10	10	0
7	आवासन और शहरी कार्य	208	57	151	262	76	186	532	68	464
8	मानव संसाधन विकास	1556	423	1133	1225	333	892	2105	483	1622
9	गृह मंत्रालय	10391	4541	5850	8086	2703	5383	12466	6206	6260
10	राजस्व	5033	1418	3615	3045	566	2479	3419	1506	1913
कुल		**27236**	**12146**	**15090**	**21319**	**8279**	**13040**	**30367**	**14289**	**16078**

<u>श्री गणेश सिंह द्वारा रिक्त पद के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2725 के जवाब में दिनांक 10.03.2021 को उत्तर दिए जाने हेतु संदर्भित विवरण।</u>

दिनांक 31.12.2018 (दिनांक 01.01.2019) तक की स्थिति के अनुसार बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों के संबंध में आंकड़े

बैकलॉग रिक्तियों, भरी गईं रिक्तियों और भरी नहीं गईं रिक्तियों के श्रेणीवार ब्यौरे

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अ.जा.			अ.ज.जा.			अ.पि.व.		
		रिक्तियां	भरी गईं रिक्तियां	भरी नहीं गई रिक्तियां	रिक्तियां	भरी गईं रिक्तियां	भरी नहीं गई रिक्तियां	रिक्तियां	भरी गईं रिक्तियां	भरी नहीं गई रिक्तियां
1	रक्षा उत्पादन	7454	6515	939	6151	4805	1346	4566	4106	460
2	वित्तीय सेवाएं	1920	1261	659	2238	1222	1016	2020	1013	1007
3	परमाणु ऊर्जा	407	245	162	433	220	213	1406	781	625
4	आवासन और शहरी कार्य	250	135	115	270	102	168	707	401	306
5	डाक	890	355	535	775	191	584	1396	879	517
6	राजस्व	4052	1285	2767	2611	550	2061	3035	1490	1545
7	रेलवे	11674	4448	7226	8682	2431	6251	12614	3920	8694
8	रक्षा	2290	1133	1157	1662	622	1040	3699	1262	2437
	कुल	**28937**	**15377**	**13560**	**22822**	**10143**	**12679**	**29443**	**13852**	**15591**

<u>श्री गणेश सिंह द्वारा रिक्त पद के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2725 के जवाब में दिनांक 10.03.2021 को उत्तर दिए जाने हेतु संदर्भित विवरण।</u>

दिनांक 31.12.2019 (दिनांक 01.01.2020) तक की स्थिति के अनुसार बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों के संबंध में आंकड़े

बैकलॉग रिक्तियों, भरी गईं रिक्तियों और भरी नहीं गईं रिक्तियों के श्रेणीवार ब्यौरे

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अ.जा.			अ.ज.जा.			अ.पि.व.		
		रिक्तियां	भरी गईं रिक्तियां	भरी नहीं गई रिक्तियां	रिक्तियां	भरी गईं रिक्तियां	भरी नहीं गई रिक्तियां	रिक्तियां	भरी गईं रिक्तियां	भरी नहीं गई रिक्तियां
1	डाक	1379	393	986	845	158	687	1090	426	664
2	रेलवे	9767	4208	5559	7713	2250	5463	12061	5314	6747
3	आवासन और शहरी कार्य	259	141	118	272	124	148	720	431	289
4	रक्षा उत्पादन	8604	6818	1786	7352	5647	1705	4692	4156	536
5	रक्षा	1649	236	1413	1068	117	951	2732	529	2203
6	परमाणु ऊर्जा	189	52	137	189	40	149	679	108	571
7	वित्तीय सेवाएं	1527	648	879	1363	421	942	2252	1018	1234
8	राजस्व	4971	1483	3488	3214	647	2567	4336	1492	2844
	कुल	28345	13979	14366	22016	9404	12612	28562	13474	15088

श्री गणेश सिंह द्वारा रिक्त पद के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2725 के जवाब में दिनांक 10.03.2021 को उत्तर दिए जाने हेतु संदर्भित विवरण।

अनुलग्नक-।।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. रिपोर्ट-।

रिपोर्ट की तारीख- 05.03.2021 :: 1:37 अपराह्न

दिनांक 01 जनवरी 2012 तक की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष 2011 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय (79 मंत्रालय/विभाग)

	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व (दिनांक 1/1/2012 तक की स्थिति के अनुसार)					कैलेंडर वर्ष 2011 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या													
						सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति द्वारा				
समूह	कुल कर्मचारी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
क	83837	11815	4821	8366	58835	3117	409	190	766	1752	6117	1034	381	4702	568	34	12	27	495
ख	215235	34378	14221	20068	146568	6817	1113	565	2187	2952	17963	3303	1317	13343	342	39	12	3	288
ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	2662072	459286	207322	464564	1530900	118077	20102	9580	32648	55747	87701	19507	8412	59782	3769	755	210	377	2427
ग (सफाई कर्मचारी)	58309	27733	4108	6741	19727	1402	293	139	198	772	326	117	28	181	97	11	7	7	72
कुल	3019453	533212	230472	499739	1756030	129413	21917	10474	35799	61223	112107	23961	10138	78008	4776	839	241	414	3282

श्री गणेश सिंह द्वारा रिक्त पद के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2725 के जवाब में दिनांक 10.03.2021 को उत्तर दिए जाने हेतु संदर्भित विवरण।

अनुलग्नक-।।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. रिपोर्ट-।

रिपोर्ट की तारीख- 05.03.2021 :: 1:38 अपराह्न

दिनांक 01 जनवरी 2013 तक की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष 2012 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय (80 मंत्रालय/विभाग)

	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व (दिनांक 1/1/2013 तक की स्थिति के अनुसार)					कैलेंडर वर्ष 2012 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या													
						सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा					प्रतिनियुक्ति द्वारा			
समूह	कुल कर्मचारी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
क	82700	11659	4892	9207	56942	4368	539	252	1187	2390	6175	1005	389	4781	439	40	18	7	374
ख	236465	37428	15563	23353	160121	7157	1530	624	2378	2625	18488	3384	1236	13868	281	20	10	3	248
ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	2635590	457367	207728	480283	1490212	129442	23323	14208	47092	44819	116741	23576	10214	82951	1472	255	92	168	957
ग (सफाई कर्मचारी)	119129	35630	8470	23387	51642	2764	638	323	726	1077	424	75	28	321	65	14	4	11	36
कुल	3073884	542084	236653	536230	1758917	143731	26030	15407	51383	50911	141828	28040	11867	101921	2257	329	124	189	1615

श्री गणेश सिंह द्वारा रिक्त पद के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2725 के जवाब में दिनांक 10.03.2021 को उत्तर दिए जाने हेतु संदर्भित विवरण।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. रिपोर्ट-।

रिपोर्ट की तारीख- 05.03.2021 :: 1:39 अपराह्न

दिनांक 01 जनवरी 2014 तक की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष 2013 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय (79 मंत्रालय/विभाग)

	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व (दिनांक 1/1/2014 तक की स्थिति के अनुसार)					कैलेंडर वर्ष 2013 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या													
						सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति द्वारा				
समूह	कुल कर्मचारी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
क	87879	11819	4888	10113	61059	2857	423	192	866	1376	6556	1071	425	5060	452	31	12	29	380
ख	255206	42037	17553	28053	167563	5457	968	463	1944	2082	18712	4783	1676	12253	496	46	18	4	428
ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	2722103	467365	232845	548658	1473235	146186	25809	13248	50309	56820	86934	18862	8459	59613	1384	196	86	91	1011
ग (सफाई कर्मचारी)	56580	22341	3996	6460	23783	2044	484	173	710	677	807	247	68	492	61	8	2	12	39
कुल	3121768	543562	259282	593284	1725640	156544	27684	14076	53829	60955	113009	24963	10628	77418	2393	281	118	136	1858

श्री गणेश सिंह द्वारा रिक्त पद के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2725 के जवाब में दिनांक 10.03.2021 को उत्तर दिए जाने हेतु संदर्भित विवरण।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. रिपोर्ट-।

रिपोर्ट की तारीख- 05.03.2021 :: 1:40 अपराह्न

दिनांक 01 जनवरी 2015 तक की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष 2014 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय (78 मंत्रालय/विभाग)

	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व (दिनांक 1/1/2015 तक की स्थिति के अनुसार)					कैलेंडर वर्ष 2014 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या													
						सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति द्वारा				
समूह	कुल कर्मचारी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
क	92226	12479	5332	11149	63266	3969	561	250	821	2337	9910	1486	732	7692	397	46	17	30	304
ख	259543	41679	17465	31456	168943	4715	736	353	1581	2045	28121	6086	2358	19677	274	37	17	8	212
ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	2842202	491013	243879	534791	1572519	114997	19480	9883	36570	49064	134754	24900	10981	98873	1777	253	111	150	1263
ग (सफाई कर्मचारी)	47535	20386	2875	5851	18423	4948	896	357	1541	2154	577	126	41	410	24	6	5	2	11
कुल	3241506	565557	269551	583247	1823151	128629	21673	10843	40513	55600	173362	32598	14112	126652	2472	342	150	190	1790

,

श्री गणेश सिंह द्वारा रिक्त पद के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2725 के जवाब में दिनांक 10.03.2021 को उत्तर दिए जाने हेतु संदर्भित विवरण।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. रिपोर्ट-।

रिपोर्ट की तारीख- 05.03.2021 :: 1:40 अपराह्न

दिनांक 01 जनवरी 2016 तक की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष 2015 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय (79 मंत्रालय/विभाग)

	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व (दिनांक 1/1/2016 तक की स्थिति के अनुसार)					कैलेंडर वर्ष 2015 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या													
						सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति द्वारा				
समूह	कुल कर्मचारी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
क	95439	12848	5586	12641	64364	3597	457	221	848	2071	6784	1027	438	5319	703	84	38	52	529
ख	298516	47838	21404	44342	184932	10577	1354	944	2606	5673	22934	4285	1651	16998	482	53	21	24	384
ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	2840607	490886	247025	642833	1459863	102114	18006	9609	34033	40466	186562	38874	17357	130331	1449	167	41	94	1147
ग (सफाई कर्मचारी)	48951	22108	3379	7076	16388	2452	590	153	721	988	651	169	35	447	38	4	30	0	4
कुल	3283513	573680	277394	706892	1725547	118740	20407	10927	38208	49198	216931	44355	19481	153095	2672	308	130	170	2064

श्री गणेश सिंह द्वारा रिक्त पद के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2725 के जवाब में दिनांक 10.03.2021 को उत्तर दिए जाने हेतु संदर्भित विवरण।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. रिपोर्ट-।

रिपोर्ट की तारीख- 05.03.2021 :: 1:41 अपराह्न

दिनांक 01 जनवरी 2017 तक की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष 2016 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय (76 मंत्रालय/विभाग)

	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व (दिनांक 1/1/2017 तक की स्थिति के अनुसार)					कैलेंडर वर्ष 2016 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या													
						सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति द्वारा				
समूह	कुल कर्मचारी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
क	79678	10503	4419	10634	54122	3307	451	217	914	1725	7128	831	351	5946	333	32	6	16	279
ख	200971	33633	13809	29035	124494	7876	1152	581	2596	3547	11976	2164	848	8964	470	61	27	24	358
ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	1844739	317305	135159	371787	1020488	63547	11308	5125	19718	27396	83437	15319	6850	61268	562	94	35	91	342
ग (सफाई कर्मचारी)	42780	17212	2784	6300	16484	1360	263	99	427	571	747	68	37	642	42	10	4	11	17
कुल	2168168	378653	156171	417756	1215588	76090	13174	6022	23655	33239	103288	18382	8086	76820	1407	197	72	142	996

श्री गणेश सिंह द्वारा रिक्त पद के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2725 के जवाब में दिनांक 10.03.2021 को उत्तर दिए जाने हेतु संदर्भित विवरण।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. रिपोर्ट-।

रिपोर्ट की तारीख- 05.03.2021 :: 1:41 अपराह्न

दिनांक 01 जनवरी 2018 तक की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष 2017 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय (69 मंत्रालय/विभाग)

	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व (दिनांक 1/1/2018 तक की स्थिति के अनुसार)					कैलेंडर वर्ष 2017 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या													
						सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति द्वारा				
समूह	कुल कर्मचारी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
क	61353	7858	3366	9078	41051	3080	324	164	822	1770	3206	403	163	2640	161	9	8	9	135
ख	153302	26444	10621	23873	92364	1493	233	138	460	662	8949	1508	521	6920	257	30	12	37	178
ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	1737815	295443	130662	359466	952244	39019	6318	3493	11791	17417	105604	19031	8136	78437	610	63	36	83	428
ग (सफाई कर्मचारी)	44330	17575	3459	6757	16539	1541	265	111	437	728	1714	282	195	1237	93	9	4	0	80
कुल	1996800	347320	148108	399174	1102198	45133	7140	3906	13510	20577	119473	21224	9015	89234	1121	111	60	129	821

श्री गणेश सिंह द्वारा रिक्त पद के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2725 के जवाब में दिनांक 10.03.2021 को उत्तर दिए जाने हेतु संदर्भित विवरण।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. रिपोर्ट-।

रिपोर्ट की तारीख- 05.03.2021 :: 1:42 अपराह्न

दिनांक 01 जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय (54 मंत्रालय/विभाग)

	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व (दिनांक 1/1/2019 तक की स्थिति के अनुसार)					कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या													
						सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति द्वारा				
समूह	कुल कर्मचारी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
क	48218	6963	2967	7819	30469	1692	205	101	482	904	3867	613	243	3011	134	13	5	5	111
ख	145744	24293	10615	19880	90956	4306	666	311	1390	1939	11000	2182	898	7920	234	29	12	45	148
ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	1696256	288076	130872	360072	917236	42382	7045	3777	13283	18277	116156	21072	9924	85160	580	68	47	149	316
ग (सफाई कर्मचारी)	40803	16492	3040	7095	14176	919	158	103	256	402	405	74	29	302	8	1	1	2	4
कुल	1931021	335824	147494	394866	1052837	49299	8074	4292	15411	21522	131428	23941	11094	96393	956	111	65	201	579

श्री गणेश सिंह द्वारा रिक्त पद के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2725 के जवाब में दिनांक 10.03.2021 को उत्तर दिए जाने हेतु संदर्भित विवरण।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. रिपोर्ट-।

रिपोर्ट की तारीख- 05.03.2021 :: 1:43 अपराह्न

दिनांक 01 जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय (43 मंत्रालय/विभाग)

	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व (1/1/2020 तक की स्थिति के अनुसार)						कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या														
							सीधी भर्ती द्वारा						पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति द्वारा				
समूह	कुल कर्मचारी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईड ब्ल्यू एस	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईड ब्ल्यू एस	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
क	32509	4247	1755	5190	0	21317	960	133	62	302	0	463	1574	259	105	1210	41	4	0	4	33
ख	94280	16075	6504	15607	27	56067	908	210	138	283	0	277	6975	1479	425	5071	58	8	5	7	38
ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	427066	79236	33070	95379	816	218565	11682	1802	933	3506	21	5420	14590	3567	1294	9729	120	21	16	21	62
ग (सफाई कर्मचारी)	12996	4795	892	2318	71	4920	258	53	26	81	0	98	33	9	3	21	1	0	1	0	0
कुल	566851	104353	42221	118494	914	300869	13808	2198	1159	4172	21	6258	23172	5314	1827	16031	220	33	22	32	133

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3022

सोमवार, 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942 (शक)

ई.पी.एफ. खातों को बंद करना

3022. श्री अब्दुल खालेक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1 अप्रैल, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 के दौरान ईपीएफ के बंद किए गए खातों की संख्या के संबंध में सदन को अद्यतन जानकारी देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी मास-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान आंशिक निकासी सहित खातों की माह-वार संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों श्रेणियों में उक्त अवधि के दौरान ई.पी.एफ. खातों से कुल कितनी निकासी हुई है और वित्त वर्ष 2019-2020 की इसी अवधि की तुलना में ई.पी.एफ.खातों से कुल कितनी निकासी हुई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): अप्रैल से दिसम्बर, 2020 की अवधि के दौरान बंद किए गए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों की संख्या संलग्न विवरण के अनुसार 71,01,929 है।

(ग): दोनों श्रेणियों में उक्त अवधि के दौरान ईपीएफ खातों से कुल निकासी का विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान इसी अवधि के आंकड़ों का विवरण निम्नानुसार है:

अप्रैल-दिसम्बर, 2020	अप्रैल-दिसम्बर, 2019
73498 करोड़ रुपये	55125 करोड़ रुपये

*

*****

अनुबंध

"ई.पी.एफ. खातों को बंद करना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य, श्री अब्दुल खालेक द्वारा दिनांक 15.03.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3022 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

2020			2019	
माह	बंद किए गए ईपीएफ खातों की संख्या	आंशिक निकासी वाले खातों की संख्या	बंद किए गए ईपीएफ खातों की संख्या	आंशिक निकासी वाले खातों की संख्या
अप्रैल	2,30,593	13,43,278	7,69,221	5,44,261
मई	4,62,635	10,52,098	8,37,976	6,21,298
जून	6,22,856	12,96,415	7,21,575	5,41,181
जुलाई	8,45,755	15,57,853	8,73,249	6,98,129
अगस्त	7,77,410	11,81,265	7,72,128	6,26,071
सितम्बर	11,18,517	16,66,191	6,86,252	5,23,035
अक्तूबर	11,18,751	16,58,037	6,13,631	5,13,117
नवम्बर	9,54,158	14,42,020	6,67,362	6,71,040
दिसम्बर	9,71,254	15,74,963	7,25,169	7,04,752
अप्रैल-दिसम्बर	71,01,929	1,27,72,120	66,66,563	54,42,884

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3037

सोमवार, 15 मार्च, 2021 / 24 फाल्गुन, 1942 (शक)

निजी प्लेसमेंट एजेंसियां

3037. श्री देवुसिंह चौहन

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैकड़ों निजी प्लेसमेंट एजेंसियों ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ऐसी निजी एजेंसियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में नियमों और विनियमों तथा अन्य अधिनियमों को सख्ती से कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 अनुसूची I में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में कार्यबद्ध कारखानों तथा केन्द्रीय सरकार दावार अधिसूचित प्रतिष्ठान वर्ग से संबंधित प्रतिष्ठानों पर लागू होता है यदि उनमें 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत किसी पृथक प्रतिष्ठान वर्ग को "निजी नियोजन एजेन्सी" के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के किसी उल्लंघन के मामले में तथा यदि देय राशि का भुगतान न किया गया हो, तो अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से कार्रवाईयां की जाती हैं।

(i) चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत देयताओं के मूल्यांकन की पिछले दो वर्ष की स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रारंभिक जमा	प्रारंभ किए गए	निपटाए गए
2018-19	19867	12958	13626
2019-20	19199	14347	18013

(ii) देयताओं के भुगतान में जानबूझकर विलंब हेतु अधिनियम की धारा 14ख के अंतर्गत दाण्डिक जुर्मानों की उगाही की पिछले दो वर्ष की स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रारंभिक जमा	प्रारंभ किए गए	निपटाए गए
2018-19	43662	87336	98402
2019-20	32596	92103	92858

iii) निर्धारित देयताओं की वसूली की पिछले दो वर्ष की स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	निर्धारित राशि जिसकी वसूली की गई
2018-19	3491.52 करोड़ रुपये
2019-20	4226.65 करोड़ रुपये

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3079

सोमवार, 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942(शक)

स्टॉक बाजार में निवेश

3079. श्री पी. वेलुसामी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य द्वारा संचालित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वेतन भोगियों को स्थिर लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अपनी 64वीं वर्षगांठ के बाद स्टॉक बाजार में 5% का एक निधि निवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ईपीएफओ में कितनी वृद्धिशील जमा राशि है;

(ग) स्टॉक बाजार में निवेश के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और बाजार में धनराशि लगाने की कार्य प्रणाली क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे परिवर्तनशील बाजार, जहां निवेश के लाभ की कोई गारंटी नहीं होती, से वेतनभोगियों के हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है; और

(ङ) क्या ईपीएफओ को इस नीति के विरूद्ध अखिल भारतीय मजदूर संघों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश पद्धति और कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईपीएफओ के आंतरिक दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी कायिक निधि का निवेश करता है।

(ख): पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के लिए इक्विटी में निवेश हेतु वृद्धिशील जमा/नए संचयन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**कुल राशि (करोड़ रुपये में)**
2017-18	19796.24
2018-19	27743.19
2019-20	32377.26
2020 (28.02.2021 तक)	27532.39

(ग): वर्तमान में, ईपीएफओ निफ्टी-50, सेंसेक्स, सीपीएसई और भारत-22 के सूचकांकों के साथ अंकित एक्सचेंज ट्रेडेड निधि में वृद्धिशील जमा/नए संचयन के 15 प्रतिशत का निवेश करता है।

(घ): इक्विटी बाजार की परिवर्तनशीलता को कम करने के सुरक्षोपाय के रूप में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने दिनांक 31.03.2015 को आयोजित अपनी 207वीं बैठक में इस वर्ग के लिए केवल एक्सचेंज ट्रेडेड निधि में निवेश करने का निर्णय लिया।

(ङ): दिनांक 26.02.2021 को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की 228वीं बैठक के विचारार्थ विषयों पर कुछ ट्रेड यूनियनों का संयुक्त अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें निवेश नीति और स्टॉक बाजार में निधियों के निवेश से संबंधित विषय को उठाया गया था।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3082

सोमवार, 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942(शक)

'गिग' अर्थव्यवस्था

3082. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गिग अर्थव्यवस्था भारत में अभी भी उदीयमान अवस्था में है और उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या एसोचम ने अंदाजा लगाया था कि भारत की गिग अर्थव्यवस्था वार्षिक चक्रवृद्धि के साथ 17 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़ेगी और आगामी तीन वर्षों में 455 बिलियन डॉलर के आकड़ों तक पहुंच जायेगी और यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है;

(ग) क्या श्रमबल के पास न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य लाभ, चिकित्सा अवकाश और यहां तक कि सेवानिवृत्ति लाभ जैसे सीमित रोजगार अधिकार हैं जिन पर वह निर्भर है और भुगतान केवल परियोजना के पूरा होने पर किया जाता है जिससे वित्तीय असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है;

(घ) क्या यह सच है कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं दिया जाना कई प्रतिभाशाली श्रमिकों को अर्थव्यवस्था में भाग लेने से रोक रही थी; और

(ङ) देश की गिग अर्थव्यवस्था में इन मुद्दों का हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (एसोचेम) से प्राप्त सूचना के अनुसार अगले पांच वर्षों के दौरान गिग अर्थव्यवस्था के भावी आकार को दर्शाने वाले आकड़ों के संबंध में कोई अनुसंधान/अध्ययन पत्र जारी नहीं किया गया है। तथापि, सामान्य आकलन यह है कि भारत में गिग अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है।

(ग) से (ङ): गिग कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को अधिसूचित किया गया है जिसमें अन्य के साथ-साथ गिग कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने सहित अन्य लाभों के लिए योजनाएं तैयार करने की संकल्पना विद्यमान है। इस संहिता के अनेक उपबंध अभी लागू नहीं हुए हैं।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3111
सोमवार, 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942 (शक)

कर्मचारियों और नियोजकों का अंशदान

3111. श्री वी.के. श्रीकंदनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक योजना को मंजूरी दी है जिसके द्वारा अक्तूबर, 2020 से 30 जून, 2021 तक काम पर रखे गए नए कामगारों हेतु कर्मचारियों और नियोजकों दोनों का अंशदान का भुगतान दो वर्षों तक सरकार द्वारा किया जाएगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह योजना उन व्यक्तियों पर लागू होगी जो प्रति माह 15000 रुपए से कम कमाते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देगी;और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारंभ की गई है।

इस योजना के तहत;

- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी, जो 1 अक्तूबर, 2020 से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था एवं उसके पास 1 अक्तूबर, 2020 से पूर्व सार्वभौमिक लेखा संख्या अथवा ईपीएफ सदस्य संख्या नहीं थी, लाभ हेतु पात्र होगा।
- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला सार्वभौमिक लेखा संख्या (यूएएन) धारक ईपीएफ का कोई भी सदस्य, जो 01.03.2020 से 30.09.2020 तक कोविड महामारी के दौरान रोजगार से निकाल दिया गया तथा 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किए गए किसी प्रतिष्ठान में रोजगार में नियुक्त नहीं हुआ, वह भी लाभ लेने हेतु पात्र होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई है और पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए 30 जून 2021 तक चालू रहेगी। सरकार पंजीकरण की तारीख से दो साल के लिए सब्सिडी का भुगतान करेगी।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3120

सोमवार, 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942 (शक)

ईपीएफओ द्वारा निपटाए गए दावे

3120. श्रीमती रीती पाठक:
श्री राजन बाबूराव विचारे:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ईपीएफओ द्वारा लॉकडाउन के दौरान कितने दावे निपटाए गए हैं;
(ख) उनमें से राज्यवार कितने प्रतिशत लाभार्थियों को कम वेतन मिल रहा है;
(ग) क्या ईपीएफओ ने पीएमजीकेवाई (प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना) क अंतर्गत लाखों कोविड-19 के दावे निपटाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या अप्रैल, 2020 में और मार्च तथा अप्रैल, 2020 के बीच औद्योगिक कामगारों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): लॉकडाउन की अवधि (अर्थात 25/3/2020 से 31/05/2020 तक) के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निपटाए गए दावों की संख्या 31,01,818 थी। प्रति माह 15000/- रुपये से कम अर्जित करने वाले सदस्यों का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग): लॉकडाउन की अवधि (अर्थात 25/03/2020 से 31/05/2020 तक) के दौरान पीएमजीकेवाई (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना) के अंतर्गत ईपीएफओ द्वारा निपटाए गए दावों की संख्या 82,684 है।

(घ): फरवरी और मार्च, 2020 के बीच औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) में 2 अंकों की कमी दर्ज की गई थी। हालांकि, मार्च और अप्रैल, 2020 के बीच सीपीआई-आईडब्ल्यू में 3 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई थी।

* ****

अनुबंध

"ईपीएफओ द्वारा निपटाए गए दावे" के संबंध में माननीय संसद सदस्य, श्रीमती रीती पाठक और श्री राजन बाबूराव विचारे द्वारा दिनांक 15.03.2021 के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

25-03-2020 से 31-05-2020 तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान निपटाए गए दावों की संख्या				
क्र.सं	**राज्य का नाम**	**मजदूरी <15000**	**निपटाए गए कुल दावे**	**प्रतिशत**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	201	303	66.34
2	आंध्र प्रदेश	74675	97589	76.52
3	अरूणाचल प्रदेश	128	195	65.64
4	असम	8032	9460	84.90
5	बिहार	31194	36699	85.00
6	चंडीगढ़	31032	38160	81.32
7	छत्तीसगढ़	35757	40248	88.84
8	दिल्ली	179867	251324	71.57
9	गोवा	8962	11008	81.41
10	गुजरात	139067	166109	83.72
11	हरियाणा	175864	223071	78.84
12	हिमाचल प्रदेश	15213	17731	85.80
13	जम्मू और कश्मीर	36	43	83.72
14	झारखंड	24043	27127	88.63
15	कर्नाटक	254568	396883	64.14
16	केरल	57536	86415	66.58
17	मध्य प्रदेश	68426	79461	86.11
18	महाराष्ट्र	365380	532263	68.65
19	मणिपुर	838	954	87.84
20	मेघालय	643	932	68.99
21	मिजोरम	161	298	54.03
22	नागालैंड़	263	421	62.47
23	ओडिशा	31243	38224	81.74
24	पंजाब	40748	46627	87.39
25	राजस्थान	57137	68381	83.56
26	सिक्किम	1115	1292	86.30
27	तमिलनाडु	307247	438959	69.99
28	तेलंगाना	137090	211577	64.79
29	त्रिपुरा	767	1319	58.15
30	उत्तर प्रदेश	123954	150309	82.47
31	उत्तराखंड	42486	47264	89.89
32	पश्चिम बंगाल	68663	81172	84.59
	कुल	**2282336**	**3101818**	**73.58**

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3129

सोमवार, 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942 (शक)

ई.पी.एफ. में निवेश

3129. श्री राकेश सिंह

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कार्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) में निवेश की प्रवृत्ति बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकतम वार्षिक अंशदान की सीमा निर्धारित किए जाने के कारण लोग इस निधि उच्च राशि का अनुसंधान नहीं कर पा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार के पास ई.पी.एफ. में अंशदान/जमा के लिए सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): पिछले तीन वर्षों में निवेश की प्रवृत्ति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) योजना, 1952 में निवेश में निम्नानुसार बढोतरी हुई है:

ईपीएफ योजना, 1952 में किए गए कुल निवेश (लागत मूल्य के अनुसार)	
वित्त वर्ष	**राशि (करोड़ रूपये में)**
2017-18	1,26,119.92
2018-19	1,41,346.85
2019-20	1,68,661.07

(ग) से (ड.): ईपीएफ सदस्यों को 15000/- रुपये के मासिक वेतन के 12% की दर से अंशदान करने की आवश्यकता है। कोई भी ईपीएफ सदस्य अपने नियोक्ता की सहमति से 15000/-रुपये से अधिक मासिक वेतन के 12% की दर से अंशदान को चुन सकता है, बशर्ते कि इस तरह का अनुरोध कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4149

सोमवार, 22 मार्च, 2021 /1 चैत्र 1943 (शक)

ईपीएफ-95 पेंशनभोगी

4149. श्री सी.पी.जोशी

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में ईपीएस-95 पेंशनभोगियों को किस आधार पर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार की मंशा पेंशन में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो ईपीएफ-95 पेंशनरों के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 एक 'परिभाषित अंशदान- परिभाषित लाभ' सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार पेंशनभोगियों को पूल खाते से पेंशन दी जाती है जिसमें कर्मचारी के वेतन के 8.33 प्रतिशत (सांविधिक सीमा 15000/-रुपये मासिक है) का भुगतान नियोक्ता द्वारा और कर्मचारी के वेतन के 1.16 प्रतिशत का भुगतान (15000/-रुपये तक) केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। सदस्य की पेंशन का निर्धारण सेवा की अवधि और पेंशन निधि में सदस्य द्वारा वेतन पर किए गए अंशदान के आधार पर किया जाता है। ईपीएस, 95 के अंतर्गत सदस्य की पेंशन की गणना करने का सूत्र निम्नलिखित हैं:-

$$\frac{\text{पेंशनयोग्य सेवा} \times \text{पेंशनयोग्य वेतन}}{70}$$

(ख) और (ग): सरकार ने, 1995 के अंतर्गत व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बजटीय सहायता देकर पहली बार ईपीएस 01.09.2014 से पेंशनभोगियों को 1000/-रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन देना शुरू किया है, जबकि योजना में बजटीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं है।

इस योजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर समझौता किए बिना और/या अतिरिक्त बजटीय सहायता के न्यूनतम मासिक पेंशन को बढाना संभव नहीं है। सरकार ने ईपीएस, 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकारप्राप्त निगरानी समिति का गठन किया है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय शर्तों को पूरा करने के साथ मासिक पेंशन में वृद्धि करने की अनुशंसा की है।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4186

सोमवार, 22 मार्च, 2021/1 चैत्र, 1943(शक)

एप आधारित सेवाओं में कामगार

4186. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एप आधारित कैब चालक, होम डिलीवरी राइडर जैसे असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों को मंत्रालय की सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ईएसआईसी सुविधा, पेंशन योजना आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए कानूनों में संशोधन करके या अधिसूचना द्वारा इन क्षेत्रों में संगठित कामगारों को ये सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कामगारों को ये सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) को भारत के राजपत्र में दिनांक 29.09.2020 को अधिसूचित किया गया है। संहिता में असंगठित कामगारों, गिग कामगारों तथा प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए योजनाएं तैयार करने की परिकल्पना की गई है।

जैसे ही सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 प्रभाव में आती है, संगठित तथा असंगठित कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से स्वास्थ्य लाभों के साथ लाभ प्रदान करने के लिए योजनाएं तैयार की जा सकेंगी।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4207

सोमवार, 22 मार्च, 2021/1 चैत्र, 1943(शक)

पेंशन की पुनरीक्षा

4207. श्री दयाकर पसुनूरी:
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम सीमा पर विचार किए बिना यथानुपात आधार पर गत पांच वर्षों से वर्षवार वृद्धावस्था संबंधी मासिक पेंशन की पुनरीक्षा की है और यदि हां, तो आज की तिथि तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वृद्धों के कल्याण के लिए प्रति वर्ष वृद्धावस्था पेंशन की पुनरीक्षा करने के लिए राज्यों में कोई प्रभावी तंत्र लागू किया गया है; और

(घ) महंगाई से मुकाबला करने के लिए 2014 से पेंशन की पुनरीक्षा नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन को पिछले पांच वर्षों से संशोधित नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एनएसएपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कई राज्य 100 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के टॉप अप्स उपलब्ध कराते हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त होता है। यह वृद्धावस्था पेंशन पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का ध्यान रखता है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4219

सोमवार, 22 मार्च, 2021/1 चैत्र, 1943 (शक)

प्लेसमेंट एजेंसियां

4219. श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की विशेषकर महानगरों में कई प्लेसमेंट एजेंसियां रोजगार प्रदान करने और पंजीकरण शुल्क के नाम पर पैसा लूटने के कार्य में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त एजेंसियों के विरूद्ध कार्रवाई करने और स्थिति की निगरानी करने के लिए कोई कानून लागू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ड.): प्लेसमेंट एजेंसियों के विनियमन/प्रत्यावर्तन से संबंधित मामला राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निजी प्लेसमेंट एजेंसियों की कार्यशैली को विनियमित करने की सलाह दी गई है। यदि संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से कोई शिकायत प्राप्त की जाती है तो आईपीसी या अन्य मौजूदा अधिनियमों, जिनके अंतर्गत ऐसे प्रतिष्ठान पंजीकृत किए गए हैं, के उपबंधों के तहत इन शिकायतों का निपटान किया जाता है। केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल (एनसीएसपी) शुरू किया है और कई राज्य सरकारों ने ऑनलाइन जॉब पोर्टल शुरू किए हैं ताकि नौकरी खोजने वाले नियोक्ताओं से और नियोक्ता नौकरी खोजने वालों से नि:शुल्क संपर्क कर सकें। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को रोजगार कार्यालयों को आधुनिक बनाने हेतु भी सहायता प्रदान की जा रही है ताकि नौकरी चाहने वालों को रोजगार सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4259

सोमवार, 22 मार्च, 2021/1 चैत्र, 1943 (शक)

ईपीएफओ का ब्याज भुगतान

4259. श्री के. सुब्बारायण:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2019-20 हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत लगभग चार मिलियन लोगों को ब्याज का भुगतान करने में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60(1) के अनुसार आयुक्त प्रत्येक सदस्य के खाते में केंद्रीय न्यासी बोर्ड के साथ परामर्श करके केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली ब्याज दर के अनुसार राशि जमा करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने दिनांक 05.03.2020 को आयोजित अपनी 226वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 8.50% के ब्याज दर की संस्तुति की थी। तथापि, कोविड-19 महामारी की अधिव्याप्ति के कारण कतिपय प्रक्रियात्मक समायोजनों के निमित्त सीबीटी ने दिनांक 09.09.2020 को आयोजित अपनी 227वीं बैठक में इसकी पुन: पुष्टि की। सीबीटी द्वारा संस्तुत ब्याज दर को भारत सरकार ने 31.12.2020 को अनुमोदन प्रदान कर दिया था। तदनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए 8.5% की दर से ब्याज की दर अधिसूचित की गई थी और ब्याज को सदस्यों के खातों में जमा कराया गया था।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60(2) के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष की अंतिम तिथि को प्रभावी जमा शेष के आधार पर सदस्यों के खातों में ब्याज राशि को मासिक जमा शेष आधार पर जमा किया जाता है। तदनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए सदस्यों के खाते में 31.03.2020 के अनुसार ब्याज राशि जमा की गई है। अत: भविष्य निधि के सदस्यों को ब्याज जमा होने में विलम्ब होने के कारण कोई हानि नहीं होगी।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4292

सोमवार, 22 मार्च, 2021 / 01 चैत्र, 1943 (शक)

स्टोन क्रशर मिलों में कार्य में लगे श्रमिक

4292. श्री नव कुमार सरनीया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर पूर्वी राज्यों में स्टोन क्रशर मिलों में काम पर लगे श्रमिकों की कुल संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन क्रशर मिलों में कार्य पर लगे श्रमिकों को सरकार के मानकों के अनुसार सुविधाएं प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन क्रशर मिलों में कार्य पर लगे श्रमिकों को पीएफ,एएसआई की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): असम में स्टोन क्रशर मिलों में कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या 12,223 हैं। जिला-वार विवरण अनुबंध में संलग्न है। कारखाना अधिनियम, 1948 और असम कारखाना नियमों के अनुसार असम में स्टोन क्रशर मिलों में कार्यरत सभी कामगारों को सभी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सिक्किम में कोई स्टोन क्रशर मिल नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के संबंध में सूचना एकत्रित/संकलित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी। पात्र क्रशर मिलों के श्रमिकों को पीएफ, ईएसआई आदि की सुविधाएं मिलती हैं।

*

*****

अनुबंध

स्टोन क्रशर मिलों में कार्य में लगे श्रमिक के संबंध में दिनांक 22.03.2021 के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4292 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र. सं.	जिले का नाम	स्टोन क्रशर मिलों की संख्या	कार्यरत श्रमिकों की संख्या
1	बक्सा	2	60
2	बोंगईगांव	3	82
3.	चिरांग	4	63
4	बारपेटा	18	236
5	कछार	97	1033
6.	धुबरी	18	145
7.	सोनितपुर	47	866
8.	डिब्रूगढ़	55	472
9.	तिनसुकिया	77	1088
10.	कामरूप	90	1488
11.	कोकराझार	5	62
12.	करीमगंज	35	485
13.	लखीमपुर	23	336
14.	नगांव	84	1570
15.	मोरीगांव	30	444
16.	गोलाघाट	42	507
17.	शिबसागर	178	2235
18.	जोरहाट	18	266
19.	उदलगुड़ी	5	70
20.	नलबाड़ी	5	85
21.	हैलाकांडी	9	111
22.	दरांग	8	125
23.	कार्बी आंगलोंग	2	31
24.	धेमाजी	2	30
25.	एन सी हिल्स	3	60
26.	गोलपाड़ा	19	273
कुल		879	12223

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4322

सोमवार, 22 मार्च, 2021/1 चैत्र, 1943 (शक)

गृह आधारित कार्य

4322. श्री टी.आर.बालू:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हमारे देश में गृह आधारित कार्यों के अनुकूलित श्रम निरीक्षण योजनाएं क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या गृह आधारित श्रमिकों की कमाई, उनके काम के घंटे और रोजगार स्थितियों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है तथा श्रम पंजीकरण में कार्य स्थल को शामिल करने तथा खराब श्रम पंजीकरण के कारण उन गृह आधारित श्रमिकों के, जिनके नाम छूट गए है, को शामिल करने के लिए श्रम पंजीकरण को संशोधित करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो गृह आधारित औद्योगिक श्रमिकों के लिए नियमों का बेहतर अनुपालन/विधिक संरक्षण, पेशागत सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ख): जी नहीं, वर्तमान में केन्द्रीय स्तर पर गृह आधारित कामगारों के संबंध में कोई भी श्रम निरीक्षण योजना नहीं है।

(ग) से (घ): 29 श्रम कानूनों को आमेलित करके चार श्रम संहिताएं नामत: मजदूरी संहिता, 2019 (सीओडब्लयू); औद्योगिक संबंध संहिता (आईआर कोड), 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता (सीओएसएस), 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता (ओएसएच कोड), 2020 अधिसूचित की गई हैं। इन चार श्रम संहिताओं में अन्य बातों के साथ-साथ सभी को सांविधिक न्यूनतम मजदूरी प्रदान के संबंध में असंगठित क्षेत्र सहित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना, कर्मचारी राज्य बीमा, कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा आदि के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल तथा अन्य लाभ प्रदान करने के लिए कामगारों के लाभ हेतु योजनाओं को बनाना है।

*****